बिगाड़ने का काम किया, और अभी जो स्थिति में परिवर्तन, बदलाव आ रहा है, हमें विश्वास है—वैसे तो उनकी नीति ही दूसरी है—धर्म को राजनीति से जोड़ कर सत्ता करने की, लेकिन अब वह समय चला गया। अब वह समय आने वाला नहीं है। आपने बहुत विनाश के रास्ते पर प्रदेश और देश को ले जाने का काम किया है।

इसलिए आइये, एक बार फिर आने वाले दिनों में जो प्रदेश के सामने, देश के सामने चुनौती है, सूखे की, बेकारी की, गरीबी की—उसको हल करने की दिशा में जो प्रदेश सरकार कदम उठा रही है, उसको पूरा करने की दिशा में आप भी समर्थन करते हैं। वैसे हम चाहते हैं कि जहां राजनीति आ जाती है और जहां पर एक संकीर्ण राजनीति आ जाती है, तो सचमुच में वहां पर स्वार्थ आ जाता है और जब स्वार्थ आ जाता है, तो विकास की तरफ ध्यान नहीं जाता है और जब विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर दूसरी दिशा में ध्यान जाता है, तो विनाश का रास्ता तैयार हो जाता है।

इसलिए उस विनाश के रास्ते पर जाकर के प्रदेश जिस तरह से बरबाद और तबाह हुआ है, हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनौती आ रही है चुनाव की, कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर, बुनियाद के आधार पर खड़ी रहेगी और खड़ी रह कर के इस बात को साबित कर देगी कि इन राज्यों में किसी दूसरे की स्थिति अच्छी होने वाली नहीं है, कोई आने वाली नहीं है, चाहे बी० जे० पी० के लोग हों या जनता दल के लोग हैं, कांग्रेस ही आयेगी और एक बार फिर आपने राष्ट्रीय चरित्र को जो पिछले दिनों इन लोगों ने बिगाड़ने का काम किया था, देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA.

Morion extending the time for presentation of the report of the Joint Committee inquiring into Irregularities in Securities and Banking Transactions

SECRETARY-GENERAL: Sir. I have to report to (he House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok. Sabha:

> 1 am directed to inform you that Lok Sabha, at its sating held on the 25th August, 1993, has adopted the following motion extending the time for presentation of Report of the Joint Committee to enquire into irregularities in securities and banking transactions:—
>
> MOTION
>
> That mil House do extend upto the last dav of the Winter Session, 1993. the time for presentation of the report of the Joint Committee to enquire into irregularities in securities and banking transactions."

(1) THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.
(2) THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993.
(3) THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1997.
(4) THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1993—Contd.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Mr. Vice-Chairman, Sir, of late it has been the practice with the Congress (I) Government at the Centre to bring m thmgs in wholesale, as has been done in this case. The financial allocations to four States, one the biggest the other the largest, the third about the smallest and the fourth of a medium size, have been brought before this House for being passed. Rabindra Nath Tagore has a poem in his name : which means, knowing everything we took to poison. For the leftist party it was something like that The President's rule was more than poison which really led to a complete rot in the body politic of the country. Except during the emergency raj the left parties never supported the President's rule. Article 356 of the Constitution has been used frequently. This was supported for the second time, practically, in a wholesale manner. First, it was the U.P. and then the other States like Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh.

It was supported by the Left with the idea that it would be possible to fight the poison of communalism that was being spread by the ruling Bharatiya Janata Party in these States. After December 6, the first State where President's Rule was proclaimed was U.P, because of the failure of the U.P. Government in defending the Babri Masjid, which was demolished in more than six hours of carnage in that holy city, as it is considered to be by the Hindus, and it was organizations donning the name of Hinduism which carried out this demolition which blackened the name of our country before the world. Therefore, since the U.P. Government was directly responsible for the demolition and as the other three States continued with their strengthening of the conspiracy for mis demolition, then the Left supported imposition of President's Rule in all me four States. Now it is seen mat the Government of India and me U.P. Government have taken steps regarding die

reconstruction of the Babri Masjid and other things in a manner which is really self-defeating : there is no prospect of the Babri Masjid being rebuilt, there is no declaration that it will be rebuilt on its original site; it is not yet decided how it will be done, and it is said that non-political bodies perform this task— what task, nobody knows.

We knowthe history of the Congress (I). During all the communal conflagrations, the Congress, or its later incarnation, the Congress (1), contributed to communalism either in a direct' or an indirect manner. It was never a force which was really non-communal which wanted to fight communalism. My previous speaker, the esteemed Shri Ram Naresh Yadav, was saying many things, but he did not refer to certain things. It was will, the help of the Janata Government that the Congress brought to an end the V. P. Singh Government and it was (he Congress which installed the Chandra Shekhar Government and it was the Congress, as it was said, which engineered the downfall of the Government over two constables. That is the record of the Congress (I), and nothing else h as been done by the Congress (I) during this period. They had done nothing in order to do away with communalism nor to improve the condition of the people. Had the condition of the people improved under the Congress, then we could have seen a completely different picture in all these States.

How long did other parties rule over the States and how long did the Congress rule? How long did the Congress rule over India as a whole and how long did the other parties, including the V. P. Singh Government and the Chandra Shekhar Government rule?

There is a saying in Bengali: You are without any sense of shame. So, how to shame you ? This is the position of Congress (I). They talk in a loud voice, expecting that others will be cowed down by their voice. Even now the things that they are doing are that they are bringing secularism into disrepute, and they are bringing the national economy on the brink of total disaster. They are devastating our industrial structure and selling it to foreign nationals and multinationals. So, nothing can be said about such a Government. Therefore, we have only the strongest of opposition to the legislations brought forward by this Government. But, for one consideration that the States cannot carry on without the amount sought for, there can hardly be any attempt to defeat these Appropriation Bills. We have to pass them but with the conscious criticism, strictest criticism of this Party which has been the greatest bane of our national life.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Thank you. Sir.

I would be very very brief, and I will not touch upon any political point. The only point I want to elaborate is relating to the public services.

When our Constitution was framed, the basic objective was to provide for an impartial, independent, objective civil service. Unfortunately, during the process of implementation, this very objective has been totally lost. Now we have an administration which is continuously subjected to political influences, and it has lost the very purpose for which an independent public service was created. The constitutional provision is one thing, but its implementation is totally another thing. Today, the objective of the Constitution to have an impartial, objective, independent, continuous service has been totally destroyed. I would request this honourable House kindly to consider that whenever any change takes place, whenever President's rule is imposed or another government comes, there is a wholesale change of officers. Officers who have to take independent decision, always annoy some interests, and these interests take revenge, and transfers take place. The constitutional safeguards are really not there in practice. So, what we are doing now is that we are compounding the infirmities of the political system as well as the infirmities of the administrative system. One is compounding the infirmity of the other. Now the distinction between the political element and the administration element is fast disappearing, with the result that the efficiency is going down and the productivity is going down. Whether you have President's rule or you have a democratic rule, the effectiveness of the administration would not be there. There would be riots, there would be terrorism, there would be economic regression and you will not be able to achieve any of the objectives which we have set before us. So, it is of utmost importance that fundamental attention should be given to this problem.

We have today only, what I say, "three G's"— groups, *gurus* and god-fathers. This is what is left of the public administration today. I find that young officers, after five, ten years of their joining all-India services, are all disgusted. Whenever any change in the system or the

government takes place, I And half of the civil service is rendered sullen, half of the civil service feels frustrated, with the result that they do not put any heart into the work.

The obvious result is what you see every day. So, I would suggest that whereas we have provision of the Union Public Service Commission, we have the provision of the Administrative Tribunals to redress the grievances with regard to suspension, dismissal and so on, there is absolutely no safeguard with regard to arbitrary transfers, with regard to revenge being taken and other petty things being done. So, unless we provide some sort of a mechanism by which the Officers can put up their grievances to an independent cell, particularly with regard to transfers and such harassments, the public service will not improve. I would like to remind you that the public services have to play a very crucial role, particularly in a developing country like ours. I would invite your attention to what happened in Japan, which is the world number one power today, because of the Meiji Restoration, when the public services played a notable role in creating what Japan is today. Similarly, in the 19th century, the German nation was built. What a great contribution was made by the public services there! And the notorious political instability of France was compensated by the continuous and dedicated service of the public services. Today unfortunately this has totally been lost sight of in the Indian set-up. That is why you are always getting more and more inefficiency. You may have all the reforms, but unless you have a dynamic and honest civil service, which is free from political influences, you will not be able to achieve any of the objectives which you have set for yourselves in the reforms. In fact, it will be counter-productive. This is the basic point which I thought I must place before the House. President's rule or popular rule, none of them is going to yield fruits whichever X Y or Z political party is there. There things would be the same.

I would like to make two more points. Because I saw your finger going up, I will not dwell upon the subject further.

We appointed the Sarkaria Commission. A lot of expenditure was incurred and a number of memorandums were given, expert evidence was received and then the recommendations were made both in regard to the appointment of Governors, running the All India Services and many other live issues. Why can't the Govern-[1] ment take a decision on these ? Why can't all the political parties sit together and take a decision and accept the recommendations and implement them faithfully? There will be no controversy on these issues. This is another aspect which needs consideration.

The third point is this. Whenever President's nile is there, Appropriation Bills like this are placed before us. It should be that the Governor of the State under President's rule should every month send a report to the President about the various items. From those very reports about each item a note could be prepared for submission to Parliament. There could be 101 items as, for instance, communal situation, economic position and social changes and so on. which we could discuss under those sub-heads. Discussion on these would be very useful instead of being very general and imprecise. Take, for example, the communal riots. There have been a number of commissions which have gone into various communal riots. If the precise recommendations or findings of those very commissions are made available, we could see whether during President's rule those recommendations have been implemented. The very purpose of President's rule is to have a better institutional framework and if anything was going wrong it has to be set right instead of going in a routine manner. Thank you.

श्री मुहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश) : मोहतरम, मुझे यहां से बोलने की इजाजत दी जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : बोलिए ।

श्री मुहम्मद मसूद खान : मोहतरम, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का वक्त दिया । मैं दो-तीन चीजें सिर्फ कहना चाहता हूं कि यह प्रेसिडेण्ट रूल है उत्तर प्रदेश के अन्दर, जहां गवर्नर साहब राज करते हैं । सन् 1947 के पहले जब अंग्रेजों का राज था तो आजमगढ़ में एक अंग्रेज गवर्नर आया था । उसने भी उस वक्त के एक्स मेम्बर को अपने आने की इत्तला दी थी और मिलने का टाइम दिया था । मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यह मौजूदा गवर्नर साहब आजमगढ़ गए, हम लोग वहां मौजूद थे, किसी को कोई इत्तला नहीं थी और 12 घण्टा वह वहां रहे । गवर्नर की पोस्ट एक बड़ी मुकद्दस की पोस्ट है, उसके तकद्दुस को बरकरार रहना चाहिए । लेकिन बहरहाल इस तरह से यह न हो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह चीज नहीं होनी चाहिए । जैसा कि मैंने मिसाल दिया कि अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ था लेकिन इस जमाने में जब गवर्नर वोरा साहब आजमगढ़ गए, तो यह हुआ । प्रोटेस्ट के तौर पर मैंने एक चिट्ठी उनको और जिलाधिकारी को भी लिखी है कि यह पूरे प्रोटोकोल के खिलाफ है, एक गवर्नर के भी और एक एम० पी० के भी, कि उसको इत्तला न दी जाए और गवर्नर साहब आएं और

चले जाएं । इसका नतीजा क्या होगा ? जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर क्या मसले हैं, उनको सही बात नहीं मालूम हो सकती और अगर मालूम होगी तो एकतरफा । हमारे भाई राम नरेश जी भी हमारे जिले के रहने वाले हैं और जिले की पूरी वाकफियत रखते हैं । जिले में सूखे की क्या पोजिशन है, उसकी दो मिसाल मैं देना चाहता हूं । इस वक्त आजमगढ़ की पोजिशन यह है कि अगर गांव में कोई ट्यूबवैल चलना है तो एक आदमी गांव के लोगों को इत्तला दे देता है कि ट्यूबवैल चलने वाला है, पानी पीने के वास्ते भर लीजिए ।

ट्यूबवैल चलना शुरू हो जाता है, तो जो भी नलका या इस टाईप से पानी देने वाला है, पीने वाला है, वह बस्ती के अंदर उसका सारा स्टेटा नीचे चला गया और कहीं से पीने के लिए पानी नहीं मिलता । दूसरी चीज, यह है कि आजमगढ़ में इस सूखे की वजह से लोगों को फुंसियां और इस किस्म की बीमारी अच्छी पैदा हो गई हैं और जब सूखे पर बहस हो रही थी उस वक्त तक आजमगढ़ के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर की आजमगढ़ में सूखा की क्या स्थिति है, कोई रिपोर्ट नहीं आई । अब उसके बाद जाहिर होता है कि जो 40 जिले घोषित किए गए हैं उसमें आजमगढ़ है । लेकिन मैं आपने मोहतरम साथी से यह कहना चाहता हूं कि घोषणा होने के बाद आजमगढ़ में अभी तक राहत का काम एक पैसे का भी शुरू नहीं हुआ है, कागज में जरूर शुरू हुआ होगा । लेकिन फील्ड के अंदर, हम फील्ड में देखना चाहते हैं कि कितना काम हुआ है और फील्ड के अंदर एक पैसे का काम नहीं हुआ है । जो अभी आप बखान कर रहे थे, सिर्फ फारसी का एक मसला मुझको याद आता है । जब तक आपका राहत का काम आजमगढ़ पहुंचेगा या जिले के अंदर पहुंचेगा, तब तक जो पीड़ित लोग हैं, वह जिंदा नही, बल्कि वह कब्रिस्तान या श्मशान घाट पर पहुंच जाएंगे । तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त सभी नहरें सूखी पड़ी हुई हैं । बिजली का कोई ठिकाना नहीं है कि कब आती है, कब चली जाती है । जब किसान ट्यूबवैल खोलने जाता है तो पता चला कि बिजली आई थी और उसके बाद चली गई । मान्यवर, एक चीज में और कहना चाहता हूं कि सन् 1947 के बाद कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा कि जून के महीने में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग सूखा और बाढ़ पर न हो जाती हो । सिर्फ इस मर्तबा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की आज तक सूखे पर कोई मीटिंग नहीं हुई है कि सूखे में क्या राहत देनी चाहिए और कैसे राहत देनी चाहिए और न उनसे कोई बात ही की जाती है । तो ऐसा अहसास हो जाता है कि गवर्नर राज का मतलब अधिकारी राज है—अंग्रेजों का राज । पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कोआपरेशन लेना, अत्यंत जरूरी है ।

जिलों के अंदर जवाहर रोजगार योजना सिर्फ ठेकेदारों का रोजगार हो गया है । उसका बीस फिसदी का काम भी फील्ड में नहीं हो रहा है । डी० एम० और सारे लोग, जहां तक मैं आजमगढ़ की बात व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वहां यह समझ रहे हैं कि जवाहर रोजगार योजना में किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बैठने की और सलाह देने की जरूरत नहीं है । यहां पर जो लोग बैठे हैं उनको वहां पर कानून और व्यवस्था की पोजिशन समझ में आती होगी । लेकिन यू० पी० के अंदर और खास तौर से आजमगढ़ के अंदर हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले बी० जे० पी० की सरकार थी । बी० जे० पी० की सरकार के संदर्भ में जो उनका दफ्तर था, चाहे विश्व हिन्दू परिषद का दफ्तर हो, चाहे बी० जे० पी० का दफ्तर हो, वहां पुलिस जाकर बैठती थी और उनके मशविरा से काम करती थी । आज गवर्नर के राज के अंदर वही चीज हो रही है और एक रत्ती भर फर्क नहीं है । तो कैसे आज चैलेंज करते हैं कि बी० जे० पी० की सरकार गलत थी, उसको हमने डिसमिस कर दिया । कुछ तो फर्क फील्ड में मालूम होना चाहिए । लेकिन फील्ड पर कोई फर्क नहीं है । स्कूल की मान्यता के सिलसिले में मैंने बताया कि स्कूलों को कोई नई मान्यता नही मिल रही है । खुद मेरे गांव में एक स्कूल है ।

लेकिन जैसे पहले बंद था, कोई नई पोस्ट नहीं मिली, इस वक्त भी बंद है, कोई नई पोस्ट नहीं मिल रही है । मेरे दोस्त रामनरेश जी से मैंने दरख्वास्त की है कि पोस्ट मिलने में मदद करें ! वहां पर अरबी मदारिस है । इससे पहले यह कहा जाता था कि अरबी मदारिस को कोई ग्रांट बी०जे०पी० वाले नहीं देंगे । यह लड़कियों का मदरसा है, तनहा मदरसा है लेकिन न बी०जे०पी० ने उसको ग्रांट दी न आपने । तो क्या फर्क समझे लोग बी०जे०पी० की सरकार और आपकी सरकार में । यदि आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो फर्क मालूम होना चाहिए । एक सबसे बड़ी समस्या है कि वहां एक अल्पसंख्यकों की संस्था है । उसने सारी शरायत पूरी कर ली है साइंस की, अतिरिक्त स्टाफ की मान्यता दी जाए लेकिन बी०जे०पी० सरकार में भी नहीं मिली, अब गवर्नर की सरकार में भी नहीं मिली । तो मै यह कहना चाहता हूं कि अभी बहुत बड़ा बखान किया जा रहा था लेकिन फील्ड में कोई फर्क मालूम होना चाहिए । यदि फील्ड में कोई फर्क नहीं है तो हम समझेंगे कि कोई तरक्की नहीं हुई है ।

आखिरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि यह मुल्क हमारा है । चाहे गवर्नर का राज हो चाहे किसी दल का, तीन चीजें मुल्क को, प्रदेश को तरक्कीयाफ्ता बनाने के लिए होनी चाहिए । एक सही प्लानिंग हो । आज सही प्लानिंग के बजाय पार्टी के हित में प्लानिंग हो रही है । कोई भी पार्टी की सरकार हो अगर सही प्लानिंग नहीं होगी, पार्टी के हित में प्लानिंग होगी तो वह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता । दूसरे समयबद्ध कार्य हो । अब गवर्नर के राज में रोज शिलान्यास हो रहे हैं । एक रूपया देकर शिलान्यास कराए जा रहे हैं । अगर काम नहीं होगा, एक रूपया देकर शिलान्यास करवाते रहेंगे, उसके बाद इलेक्शन में उसे मुद्दा बना लें कि हमने यह शिलान्यास करवाया, इससे मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, प्रदेश की तबाही होगी ।

तीसरी चीज यह की करप्शन नाम की कोई चीज उसमें न हो । जो पुराने जरिए थे उनके अतिरिक्त कोई नया सोर्स करप्शन का न हो तो भी प्रदेश तरक्की कर लेगा । मैं तो यह कहता हूं कि इनको इस बिल में एक भी रुपया नहीं देना चाहिए । करोड़ों रुपये इस व्यवस्था को दे रहे थे लेकिन काम

नहीं हो रहा है । लेकिन एक काम जरूर हो रहा है, सरकार के सलाहकार हेलीकोप्टरों के जरिए फील्ड के ऊपर उड़ रहे हैं, उनको ऊपर से हरियाली नजर आती होगी । इस वजह से वे इस तरह की रिपोर्ट देते हैं जो डी॰ एम॰ ऐसा सूखा पड़ने के बाद सूखे की रिपोर्ट न दे उसको मैं क्या कहूं, वह प्रशासन चलाने लायक नहीं है । (समय की घंटी)

ठीक है, आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं ।

شری محمّد مسعود خان "اتر پردیش" : محترم۔ مجھے یہاں سے بولنے کی اجازت دیجیے۔

اپ سبھا ادھیکش "شری محمّد سلیم" : بولیے۔

شری محمّد مسعود خاں : محترم۔ میں آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اپروپریئیشن بل پر بولنے کا وقت دیا۔ میں دو تین چیزیں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پریسیڈنٹ رول ہے اتر پردیش کے اندر۔ جہاں گورنر صاحب راج کرتے ہیں۔ سنہ ۱۹۴۷ کے پہلے جب انگریزوں کا راج تھا۔ تو اعظم گڑھ میں ایک انگریز گورنر آیا تھا۔ اس نے بھی اس وقت کے ایکس ممبر کو اپنے آنے کی اطلاع دی تھی اور ملنے کا ٹائم دیا تھا۔ مگر بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ موجودہ گورنر صاحب اعظم گڑھ گئے۔ ہم لوگ وہاں موجود تھے کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اور ۱۲ گھنٹے وہ وہاں رہے۔ گورنر کی پوسٹ ایک بڑی مقدّس پوسٹ ہے۔ اس کے تقدّس کو برقرار رہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس طرح سے یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی کو ری پرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ انگریزوں کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس زمانے میں جب گورنر دورا صاحب اعظم گڑھ گئے تو یہ ہوا۔ پروٹسٹ کے طور پر میں نے ایک چٹھی ان کو اور ضلع ادھیکاری کو بھی لکھی ہے کہ یہ پورے پروٹوکول کے خلاف ہے۔ ایک گورنر کے بھی اور ایک ایم۔ پی۔ کے بھی کہ اس کو اطلاع نہ دی جائے۔ اور گورنر صاحب آئیں اور چلے جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ضلع کے اندر۔ پردیش کے اندر کیا مسئلے ہیں۔ ان کو صحیح بات نہیں معلوم ہو سکتی اور اگر معلوم ہوگی تو ایک طرفہ۔ ہمارے بھائی رام نریش جی بھی ہمارے ضلع کے رہنے والے ہیں۔ اور ضلع کی پوری واقفیت رکھتے ہیں۔ ضلع میں سوکھے کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کی دو مثالیں میں دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت اعظم گڑھ کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی ٹیوب ویل چلاتا ہے تو ایک آدمی گاؤں کے لوگوں کو اطلاع دیتا ہے کہ ٹیوب ویل چلنے والا ہے پانی پینے کے واسطے بھر لیجیے۔ ٹیوب ویل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی تلکا یا اس ٹائپ سے پانی دینے والا ہے پینے والا ہے۔ وہ بستی کے اندر اس کا سارا لیٹا نیچے چلا گیا اور کہیں سے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعظم گڑھ میں اس سوکھے کی وجہ سے لوگوں کو چھنیا اور اس قسم کی بیماری جلدی پیدا ہو گئی ہیں۔ اور جب سوکھے پر بحث ہو رہی تھی۔ اس وقت تک اعظم گڑھ کے ضلع ادھیکاری

پر نہ ہو جاتی ہو۔ صرف اس مرتبہ پبلک ریپرزینٹیٹو کی آج تک سوکھے پر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کہ سوکھے میں کیا راحت دینی چاہیے۔ اور کیسے راحت دینی چاہیے اور نہ ان سے کوئی بات ہی کی جاتی ہے۔ تو ایسا احساس ہو جاتا ہے کہ گورنر راج کا مطلب ادھیکاری لیتے ہیں۔ انگریزوں کا راج۔ پبلک ریپرزینٹیٹو سے کو آپریشن لینا اتینت ضروری ہے۔

ضلع کے اندر جواہر روزگار یوجنا صرف ٹھیکیداروں کا روزگار ہو گیا ہے۔ اس کا بیس فیصدی کام بھی فیلڈ میں نہیں ہو رہا ہے۔ ڈی۔ ایم اور سارے لوگ جہاں تک میں اعظم گڑھ کی بات ویکتی گت روپ سے جانتا ہوں وہاں یہ دھمکا رہے ہیں کہ جواہر روزگار یوجنا میں کسی پبلک ریپرزینٹیٹو کے بیٹھنے کی اور صلاح دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہاں پر قانون اور ویوستھا کی پوزیشن سمجھ میں آتی ہوگی لیکن یو۔ پی۔ کے اندر اور خاص طور سے اعظم گڑھ کے اندر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بی۔ جے۔ پی۔ کی سرکار تھی۔ بی۔ جے۔ پی۔ کی سرکار کے سندربھ میں جو ان کا دفتر تھا۔ چاہے وشو ہندو پریشد کا دفتر ہو۔ چاہے بی۔ جے۔ پی۔ کا دفتر ہو۔ وہاں پولیس جا کر بیٹھتی تھی۔ اور ان کے مشورہ سے کام کرتی تھی۔ آج گورنر راج کے اندر وہی چیز ہو رہی ہے

اور اتر پردیش کے گورنر کی اعظم گڑھ میں سوکھے کی کیا استھتی ہے کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ جو ۳۰ ضلعے گھوشت کیے گئے ہیں اس میں اعظم گڑھ ہے۔ لیکن میں اپنے محترم ساتھی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھوشنا ہونے کے بعد اعظم گڑھ میں ابھی تک راحت کا کام ایک پیسے کا بھی شروع نہیں ہوا ہے۔ کاغذ میں ضرور شروع ہوا ہوگا۔ لیکن فیلڈ کے اندر ہم فیلڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ کتنا کام ہوا ہے۔ اور فیلڈ کے اندر ایک پیسے کا کام نہیں ہوا ہے۔ جو ابھی آپ بکھان کر رہے تھے کہ صرف فارسی کی ایک مثل مجھ کو یاد آتا ہے۔

(مہربانی فرما کر فارسی کی مثال کو تحریر کر دیں)

جب تک آپ کا راحت کا کام اعظم گڑھ پہنچے گا۔ یا ضلع کے اندر پہنچے گا تب تک جو پیڑت لوگ ہیں۔ وہ زندہ نہیں۔ بلکہ وہ قبرستان یا شمشان گھاٹ پر پہنچ جائیں گے۔ تو میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سبھی نہریں سوکھی پڑی ہوئی ہیں۔ بجلی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب آتی ہے۔ کب چلی جاتی ہے۔ جب کسان ٹیوب ویل کھولنے جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بجلی آئی تھی اور اس کے بعد چلی گئی۔ مانیہ ور۔ ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ۱۹۴۷ء کے بعد کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرا کہ جون کے مہینے میں پبلک ریپرزینٹیٹو کی میٹنگ سوکھا اور باڑھ

اور ایک رتی بھر فرق نہیں ہے۔ تو کیسے آپ چیلنج کرتے ہیں کہ بی۔ جے۔ پی کی سرکار غلط تھی۔ اس کو ہم نے ڈسمس کر دیا۔ کچھ تو فرق فیلڈ میں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن فیلڈ پر کوئی فرق نہیں ہے۔ اسکول کی مانتیا کے سلسلہ میں میں نے بتایا کہ اسکولوں کو کوئی نئی مانتیا نہیں مل رہی ہے۔ خود میرے گاؤں میں ایک اسکول ہے۔ لیکن جیسے پہلے بند تھا۔ کوئی نئی پوسٹ نہیں ملی اس وقت بھی بند ہے کوئی نئی پوسٹ نہیں مل رہی ہے۔ میرے دوست رام نریش جی سے میں نے درخواست کی تھی کہ پوسٹ ملنے میں مدد کریں۔ وہاں پر عربی مدارس ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عربی مدارس کو کوئی گرانٹ بی۔ جے۔ پی۔ والے نہیں دیں گے۔ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے۔ تنہا مدرسہ ہے۔ لیکن نہ۔ بی۔ جے۔ پی نے اس کو گرانٹ دی نہ آپ نے۔ تو کیا فرق سمجھیں لوگ بی۔ جے۔ پی کی سرکار اور آپ کی سرکار میں۔ یدی آپ کچھ کر رہے ہیں تو کچھ تو فرق معلوم ہونا چاہیے۔ ایک سب سے بڑی سمسیہ ہے کہ وہاں ایک الپ سنکھیکوں کی سنستھا ہے۔ اس نے ساری شرائط پوری کر لی ہیں۔ سائنس کی۔ اتیرکت اسٹاف کی مانتیا دی جائے۔ لیکن بی۔ جے۔ پی۔ میں بھی نہیں ملی۔ اب گورنر کی سرکار میں بھی نہیں ملی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت بڑا بکھان کیا جا رہا تھا لیکن فیلڈ میں کوئی فرق معلوم ہونا چاہیے۔ یدی فیلڈ میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کہ کوئی ترقی نہیں ہوئی۔

آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ چاہے گورنر کا راج ہو چاہے کسی دل کا۔ تین چیزیں ملک کو۔ پردیش کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک صحیح پلاننگ ہو۔ آج صحیح پلاننگ کے بجائے پارٹی کے ہت میں پلاننگ ہو رہی ہے۔ کوئی بھی پارٹی کی سرکار اگر صحیح پلاننگ نہیں ہوگی۔ پارٹی کے ہت میں پلاننگ ہوگی تو وہ پردیش ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسرے سمے بدھ کاریے ہو۔ اب گورنر راج میں روز شلانیاس ہو رہے ہیں۔ ایک روپیہ دے کر شلانیاس کروایا۔ اس سے ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ پردیش کی تباہی ہوگی۔

تیسری چیز یہ کہ کرپشن نام کی کوئی چیز اس میں نہ ہوں۔ جو پرانے ذریعے تھے انکے اتیرکت کوئی نیا سورس کرپشن کا نہ ہو۔ تو بھی پردیش ترقی کرے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ کہ ان کو اس بل میں ایک بھی روپیہ نہیں دینا چاہیے کروڑوں روپیے اس ویوستھا کو دے رہے تھے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک کام ضرور ہو رہا ہے کہ سرکار کے صلاح کار ہیلی کاپٹروں کے ذریعہ فیلڈ کے اوپر اڑ رہے ہیں ان کو اوپر سے ہریالی نظر آتی ہوگی۔ اس وجہ سے وہ اس طرح کی

رپورٹ دیتے ہیں۔ جوڈی۔ ایم۔ ایسا سوکھا پڑنے کے بعد سوکھے کی رپورٹ نہ دے اس کو میں کیا کہوں۔ وہ پرشاسن چلانے لائق نہیں ہے۔ ... "وقت کی گھنٹی"
ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔
"ختم شد"

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, आज हम चार प्रदेशों के विनियोग विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं । यह परिस्थिति पिछले वर्ष 6 दिसंबर को पैदा हुई थी जब चार प्रदेशों में लोकतंत्र को धक्का लगा । उसके चलते यह स्थिति आज बनकर आई और उसमें भी हम उस राजनीति क संकट से अभी निपट नहीं पाए थे कि पूरे देश के अधिकांश भाग में प्राकृतिक संकट आ गया और सूखा पड़ गया जिसके चलते आज वहां पर जनजीवन बिलकुल व्याकुल हो उठा है । मै उत्तर प्रदेश के संबंध में अपने आप को सीमित रखते हुए कहना चाहूंगा कि प्रदेश के तीन चौथाई जिले ज्यादा से ज्यादा सूखे से पीड़ित हैं । लेकिन अभी तक उनमे से 40 ही जिलों की घोषणा की गई है सूखाग्रस्त होने की । मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करें क्योंकि प्रभावित पूरे प्रदेश की 70 से 80 फीसदी फसलें नष्ट हो चुकी हैं । इसलिए इस प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करें । और उसमें राहत कार्य चलाने की कोशिश करनी चाहिए । क्योंकि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थगित है इसलिए मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, संदेह भी नहीं है कि जो हम संचित निधि से इस विनियोग के जरिये राशि निकाल रहे हैं उसका सही उपयोग हो पायेगा या नहीं । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने संदेह व्यक्त किया है वह राजनीति से प्रेरित है । उसमें किसी एक पार्टी के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है । मैं भी अपने को इससे जोड़ता हूं । जो यह परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है इस पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिए । क्योंकि जो गांव के लोग हैं वे पीड़ित हैं । उनको इस राजनीति से कोई ज्यादा लेनादेना नहीं है । वे तो पूरे प्रदेश के लोग हैं, पीड़ित लोग हैं । उन सब को राजनीति से अलग हटाकर उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए । जो नया संकट पैदा हो उसके बारे में भी सरकार को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सूखे से परेशानी पैदा हो गई है विशेष रूप से उससे किसान ज्यादा प्रभावित हैं । गन्ने का मूल्य जो पिछले वर्ष का किसानों का बकाया है जिसका अभी तक उनको भुगतान नहीं हुआ उसके लिए मैं सरकार से चाहूंगा कि वह उनको जल्दी से जल्दी दिलायें । किसान कड़ी मेहनत से दिन रात लग कर गन्ना पैदा करता है । आगे आने वाले दिनों में जो गन्ना पैदा होगा उसकी कीमत उसके परिश्रम, उसके खर्चे का आकलन करते हुए बढ़ाई जानी चाहिए । और उस से नियंत्रण हट गया है जो किसान की ही चीज है । इसलिए किसान के गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए ।

नहरों से पानी न मिलने के कारण हमारे खेतों की सिंचाई प्रभावित होती है । पूरी फसल चौपट हो गई है । इसके लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए । ट्यूबवेलों की मरम्मत कराई जाए । बिजली का संकट पहले से ही है जब कि इस वक्त में उनके लिये यह बहुत अनिवार्य है । पीने के पानी की समस्या एक नये सिरे से पैदा हो गई है । हैंडपम्प का पानी बहुत नीचे चला गया है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । जो पानी के नल हैं उनकी खुदाई गहराई तक कराई जाये ताकि गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके ।

मेरा एक और अनुरोध है कि जो भी विनियोग विधेयक में धनराशि निर्दिष्ट की गई है उसमें से मैं चाहूंगा सूखे की दृष्टि से जो किसान पीड़ित हैं उनको उसका 50 प्रतिशत निर्दिष्ट करने का निर्देश दें । जो क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं उसमें राहत कार्य शुरू होना चाहिए । यह भी कहा गया है कि किसानों के लिए जो भूमिकर है, राजस्व है वह 31 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया गया है । यह कोई राहत नहीं हुई । क्या आप यह सोचते हैं कि 31 अक्तूबर तक उनके पास पैसा आ जाने वाला है ? यह देखने की बात है । मैं चाहता हूं आप कम से कम इस वर्ष में जो लगान किसान को देना पड़ता है, इस सूखे को देखते हुए माफ करने का कष्ट करें तब जाकर किसानों को कुछ राहत मिलेगी ।

शिक्षा शुल्क भी आपको माफ करना चाहिए क्योंकि किसान अपने बच्चों को शिक्षा तो क्या भर पेट खाना भी नहीं दे सकता । इसमें आपको उनकी मदद करनी चाहिए ।

जवाहर रोजगार योजना के बारे में बहुत चर्चा हुई । इसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य दिवस का सृजन किया जाना चाहिए । जिस तरह से जवाहर रोजगार योजना चल रही है वह ठीक नहीं है । वह ठेकेदारों के माध्यम से चलाई जा रही है । इसलिए उसमें कार्यदिवसों के सृजन का कोई मतलब ही नहीं है । कोई भी कार्य होता है उसको किसी ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता है । उस पर नियन्त्रण करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए ।

शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश बहुत पीछे है । मैं अपने जनपद बाराबंकी की बात बता रहा हूं । राजधानी से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है । जिला मुख्यालय में एक मात्र डिग्री कालिज है । आज के युग में एक डिग्री कालिज जिला मुख्यालय पर हो तो किस तरह से एडमिशन की समस्या हल होगी । मैं चाहता हूं कि चुनाव को ध्यान में रखकर ही सही आप डिग्री कालिज की संख्या बढ़ायें । और कम से कम बाराबंकी जैसे पिछड़े जिले में एक दो डिग्री कालेज हैडक्वार्टर में और बढ़ाये जावें । अभी वहां पर कुल जमा तीन डिग्री कालेज हैं जो 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं । इसलिए आप कम से कम इस ओर ध्यान दीजिये ।

†[ ] Transliteration in Arabic script

एक बात मुझे और कहनी है । डा० आम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात सभी माननीय सदस्यों ने कही है । अब तो इसमें कोई बाधा दिखाई नहीं देती है । भारत सरकार ने कहा था कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दायरे में होगा, सेन्ट्रल युनिवर्सिटी बनेगी । मै जानना चाहता हूं कि उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? कब तक उसमें शिक्षा का कार्य शुरू होगा ? क्या इसमें एक दो पंचवर्षीय योजनायें लगेंगी ? मैं बाबू राम नरेश यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसकी सिफारिश करें और जल्दी से जल्दी इसमें काम हो ताकि अगले सत्र से इसकी शुरूआत हो जाय और बच्चों को कोई कठिनाई न हो ।

श्री राम नरेश यादव : इसमें हम आपके साथ हैं ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : एक बात और कहना चाहता हूं । समय का मुझे ध्यान है । सूखे से प्रभावित होने के कारण प्रदेश में बहुत नुक्सान हुआ है । सूखे से दो चीजें प्रभावित होती हैं । एक तो स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है और सुरक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है । लोगों को भोजन नहीं मिलता तो वे अपराधों की तरफ बढ़ने लगते हैं । वे अपराधों के उन्मुख हो जाते हैं । इसलिए सुरक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाय और उस दृष्टिकोण से भी काम किया जाना चाहिए । एक बात यह भी है कि हमारे प्रदेश में अस्पतालों की बड़ी दुर्दशा है । क्या हमारे प्रदेश, पूरे देश में उनकी दुर्दशा है । राजधानी से 25 किलोमीटर की दूरी पर हमारे बाराबंकी जनपद में एक अस्पताल है जहां दवायें नहीं मिलती हैं । गवर्नर साहब खुद वहां पर देखने गये । कितने ही आदमी बरामदे पर पड़े रहते हैं । इसलिए हमारा सुझाव है कि राजधानी के निकट जो अस्पताल हैं उनमें सुविधायें इतनी बढ़ाई जानी चाहिए कि मेडिकल कालेजों पर उसका प्रभाव और दबाव कम हो सके । शहर और उसके आस-पास जो जिले हैं उनमें अच्छे अस्पताल होने चाहिए ।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैंने राजनीति की चर्चा नहीं की और न ही आज तक अपने भाषणों में इसकी चर्चा की है । बाबू राम नरेश यादव जी ने अपने भाषण की शुरूआत ही ऐसे की कि जैसे सारी गड़बड़ श्री वी० पी० सिंह कर रहे हैं और नाटक रच रहे हैं । मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि बाबू जी जहां पर बैठे हैं, क्या सामाजिक न्याय की गंगा वहीं से बहती है और वी० पी० सिंह उसमें बाधक हैं ? उन्होंने कहा कि हरिजनों, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार सोच रही है और वी० पी० सिंह नाटक कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां आप बैठे हुए हैं वहां तो आप प्रतिबन्धित हैं, आपको नाटक करने की भी इजाजत नहीं है । मैंने जीरो आवर में एक बात उठाई थी कि अनुसूचित जाति के लोगों को कर्जा देने के लिए 25 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे जिसमें से 16 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति वित्त निगम ने जुए में लगा दिये, शेयरों में लगा दिये । ऐसी स्थिति में आपकी सरकार बाधक है या श्री वी० पी० सिंह बाधक है ?

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुई]

इन्दूप में हरिजन मारे गये । वी० पी० सिंह वहां गये । आपके कोई मंत्री या गवर्नर नहीं गये । ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय का नाटक कौन कर रहा है ? पिछले 40 सालों से पिछड़े लोगों की स्थिति में कोई नयापन नहीं आया है । इसलिए जब आप बोलते हैं तो ऐसी धारणा और विश्वास दीजिये कि लोगों को सही संदेश मिले । आपको सही संदेश पूरे देश को देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उपसभापति : महेश्वर सिंह जी, आपकी पार्टी का जो समय था वह चनपुरिया जी ने ले लिया है । आप दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री महेश्वर सिंह : उपसभापति महोदया, किसी भी प्रान्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह उसका बजट अधिवेशन होता है यह खेद का विषय है कि आज बार बार ऐसे प्रान्तों का जहां 15 दिसम्बर की आधी रात को प्रजातंत्र की हत्या करके और लोकतंत्र के ऊपर डाका डालकर इस मोतियों वाली सरकार ने वहां की चुनी हुई सरकारों को भंग किया और वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार प्रान्तों के विनियोग विधेयक आज इस माननीय सदन में चर्चा के लिए आये हैं ।

जहां प्रांतों में कई महीने बजट पारित करने में लग जाते हैं वहां केवल मात्र चार घंटों में चारों विनियोग विधेयक पारित किये जा रहे हैं । जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है केवल मात्र पांच मिनट एक माननीय सदस्य बोले हैं और दो-तीन मिनटों के लिये आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है । इसलिये मुझे एडवाइजरी कमेटी के प्रति रोष है । जब ऐसा समय आता है तो कम से कम अलग अलग से जो प्रांतों के विनियोग विधेयक हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिये ।

उपसभापति : एक बात मैं बताऊं । कमेटी ने एक एक घंटा एक एक प्रांत को दिया था । मगर कुछ लोगों को दूसरे प्रांतों के बारे में बोलने का ज्यादा शोक था, इसलिये वे बोले । इसलिये आपको कहा कि आप कम से कम अपने स्टेट के बारे में बोलिये ।

श्री महेश्वर सिंह : मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपने मार्च महीने में इन चारों प्रांतों के बजट प्रस्तुत किये थे तो उस समय आपने 6 महीनों के लिए वोट आन एकाउंट लिया था । उस समय यह उम्मीद थी कि जून मास तक आप लोग चुनाव करवा देंगे और राष्ट्रपति शासन की अवधि 15 दिसम्बर को समाप्त हो रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर आप आज 6 महीनों के लिये बजट खर्च करने की अनुमति क्यों चाह रहे हैं । इससे स्पष्ट होता है कि आप नवम्बर में चुनाव नहीं करवायेंगे । अगर आपकी नीयत साफ होती तो आपको तीन महीनों के लिये वोट आन एकाउंट लेना चाहिये था । क्योंकि आपने घोषणा कर दी है कि नवम्बर में चुनाव होंगे तो फिर 6 महीनों की अवधि के लिये विनियोग विधेयक क्यों ला रहे हैं, वोट आन एकाउंट क्यों ला रहे हैं ? इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले 6 महीनों में भी आप चुनाव नहीं करवायेंगे, यह मेरा सीधा सीधा आरोप है और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे ।

उपसभापति जी, जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो चारों राज्यों के लिये राष्ट्रपति महोदय ने इस सदन और दूसरे सदन के सदस्यों को मिलाकर, दस-दस सदस्यों की एक समिति गठित की थी, जिसके अध्यक्ष राज्यपाल महोदय हैं। इतने नीतिगत फैसले इन प्रांतों में हो गये लेकिन एक बार भी किसी भी प्रांत के राज्यपाल ने इस समिति की बैठक बुलाना उचित नहीं समझा। क्या यही आपका प्रजातंत्र है ? इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यह आपका विनियोग विधेयक जो है, यह जो अप्रोप्रियेशन बिल है, यह अप्रोप्रियेशन बिल नहीं है बल्कि यह मिस-अप्रोप्रियेशन बिल है। क्योंकि इसमें आपने जनता के धन का दुरूपयोग किया है। अब मैं हिमाचल प्रदेश की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा।

हिमाचल प्रदेश का बजट प्रस्तुत करते हुए आपने कहा था कि स्टेट प्लान आउट-ले में 1993-94 में 550.76 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 396.56 करोड़ होगी। विशेष केंद्रीय सहायता 6.94 करोड़ रुपये की होगी और आपने कुल बजट जो है वह 1831 करोड़ 6 लाख 49 हजार का प्रस्तुत किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे यह स्पष्ट आंकड़े दें कि इसमें से केंद्र ने कितनी आर्थिक सहायता आज तक दी और कहां कहां उसने खर्च किया ? मेरा यह आरोप है कि हिमाचल प्रदेश जो है वह आर्थिक दृष्टि से दिवालियेपन की स्थिति में है और जो केंद्रीय सहायता यहां से दी गयी उसका दुरुपयोग किया गया है। विकास कार्य वहां पर ठप्प है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पर जनोपयोगी, महत्वाकांक्षी योजनायें चलाई थी वे सब योजनायें आपके राज्यपाल के प्रशासन ने रोक रखी हैं, वे भी ठप्प पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। वहां पर आपने क्या स्थिति पैदा कर दी है. उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। आज हिमाचल प्रदेश को 250 सौ करोड़ रुपये का घाटा है और वहां आज कैसे काम चल रहा है ? हर मास वहां के प्रशासन के लोग आते हैं और आपसे पेशगी प्राप्त करते हैं। जो वहां पर प्रशासन का खर्चा है उसमें यह हाल है तो विकास के कार्य कैसे होंगे ? यह उस नीति का परिणाम है जो आपका वहां पर मिस-रूल रहा। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये आप लोग अनावश्यक खर्चा करते रहे और वहां का खर्चा बढ़ता रहा। इधर प्रशासन का खर्चा बढ़ता रहा और उधर टैक्स फ्री बजट आप लाते रहे। इसके कारण आज हिमाचल प्रदेश की यह हालत है कि आज 2500 करोड़ का घाटा है। आप जब वहां पेशगी देते है तब वहां पर काम चलता है।

1992-93 का बजट जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां प्रस्तुत किया था. उस समय 1522 करोड़ का बजट था और उसमें हिमाचल प्रदेश की अपनी आय केवल मात्र 260 करोड़ थी। ऊपर से आप लोग क्या कर रहे थे 40 साल के मिस-रूल में 127 करोड़ की देनदारियाँ और 290 करोड़ का घाटा छोड़ कर गये थे। ऐसी स्थिति को भी वहां की सरकार ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और तीन सूत्री कार्यक्रम बनाया। नम्बर एक, हम केन्द्र से अपना अधिकार ले कर रहेंगे। नम्बर दो, हम अपनी फजूलखर्ची पर रोक लगाएंगे। नम्बर तीन, हम हिमाचल प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाएंगे। जहां तक केन्द्र से अपने अधिकार लेने की बात है इस बात का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश सरकार को जाता है कि जितनी भी उस धरती पर विद्युत परियोजनाएं 1990 से पहले बनी थी, उनमें रायल्टी के रूप में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई लेकिन जो 1990 से पहले यहां निर्मित योजनाएं है धरती हमारी, पानी हमारा, बिजली पैदा हम करें, जो प्रदेश लोहा पैदा करते है, जो प्रदेश कोयला पैदा करते है उनको तो रायल्टी का अधिकार है लेकिन हिमाचल प्रदेश को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो 2 सौ करोड़ रुपया वार्षिक रायल्टी बनती है, वह उस प्रान्त को दी जाए। जहां तक बचत का संबंध है दो वर्षों में ढाई वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल की बचत कर के दिखाई। इसका श्रेय वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। दो वर्षों में 80 करोड़ रुपये की बचत कर के दिखाई। उस समय केन्द्र के शासन ने भी इसकी प्रशंसा की थी, प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की थी। जहां तक अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संबंध है, जैसे मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको कुदरत ने ऐसा पानी दिया है कि जो बिजली पैदा कर सकता है, पत्थर ऐसा दिया है जो सीमेंट पैदा कर सकता है और प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा दिया है कि जहां न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। लेकिन इस ओर आपकी कांग्रेस पार्टी के सरकार का ध्यान कभी नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान दिया।

मेरे पास यहां आंकड़े है कि हिमाचल प्रदेश 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है जो 40 वर्षों के कुशासन में 3370 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सका। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, शान्ता कुमार जी को जाता है जिन्होंने शासन में आते ही यह बात कही कि अब हमें निजी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन शुरू करेंगे क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपना धन लगा कर बिजली पैदा कर सकें। आज यह बात न केवल हिमाचल प्रदेश में प्रशंसनीय है बल्कि उसका अनुसरण आप लोग भी, केन्द्र में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। आज यह निर्णय हो गया है, दिल्ली में भी इसका अनुसरण किया जा रहा है। यह जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया था कि 10 हजार मेगावाट बिजली निजी क्षेत्र में पैदा की जाएगी और शेष 10 हजार मेगावाट बिजली बोर्ड पैदा करेगा, इसी के अन्तर्गत आज पार्वती प्रोजेक्ट जो कुल 2051 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है वहां एक नहीं बल्कि पांच-पांच प्रान्त मिल कर के काम कर रहे है और उस योजना के पूरा होने से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो सकेगा। जहां तक पर्यटन का संबंध है, इस ओर भी सरकार का ध्यान गया है। सीमेंट पत्थर पर आधारित उद्योग लगाने का निर्णय लेने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। जहां तक विकास कार्यों का संबंध है, आज सारे के सारे विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में ठप्प पड़े हुए है। अभी जो बाढ़ आई उसमें हिमाचल

प्रदेश को 450 करोड़ की क्षति हुई है और यह मैं नहीं कह रहा हूं। आपके प्रधानमंत्री को तो समय तक नहीं मिला कि वे हिमाचल के लोगों की कुशल-क्षेम पूछें और न आपके राज्यपाल जी को समय मिला कि जाकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें। यह तो छोड़ दीजिये, आपकी जो समिति वहां गई थी उसके आंकड़े हैं कि वहां 450 करोड़ की क्षति हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा इस क्षतिपूर्ति के लिए आपने कितना पैसा दिया है ? एक फूटी कौड़ी भी नहीं। आप कहेंगे जो नवे वित्त आयोग का निर्णय था उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश को 13 करोड़ रुपये मिले हैं उसमें वह काम चलाएं। कहां 450 करोड़ की क्षति और आप कहेंगे कि 13 करोड़ में काम चलाएं। उसमें भी 25 प्रतिशत हम को देना है अर्थात साढ़े ग्यारह करोड़ आपने दिया। किस प्रकार से यह क्षतिपूर्ति होगी ? एक तरफ वहां बाढ़ आई और ऊपर से सूखा पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे यह मांग करना चाहूंगा कि वहां जो बाढ़ग्रस्त एरिया है और जहां सूखा पड़ा है वहां सूखा राहत कार्यक्रम चलाये। केन्द्र से विशेष आर्थिक सहायता दीजिए तभी हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सकेगा . . [**समय की घंटी**] एक मिनट में मैडम समाप्त कर रहा हूं।

जो आपका रेगुलर बजट है वह तो मरम्मत में खत्म हो जाएगा और आप केन्द्र की आर्थिक सहायता की बात करेंगे ? मैंने एक प्रश्न यहां पूछा तो कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं जिसमें एक 8 करोड़ 65 लाख रुपये की यहां से विशेष आर्थिक सहायता दी गयी थी। मंत्री जी जरा नोट करें। किस प्रकार से उसको खर्च किया गया है। उसमें एक क्षेत्र है। केवल 68 विधान मंडल है हिमाचल प्रदेश में लेकिन इस 8 करोड़ 65 लाख में से एक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए,

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी का क्षेत्र होगा।

श्री महेश्वर सिंह : अब किसी का भी हो।

एक करोड़ 12 लाख रुपया, शिक्षा भवन के निर्माण के लिए, 81 लाख में से 80 लाख रुपया और पेयजल योजनाओं के लिए दो करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 48 लाख। कुल मिलाकर 4 करोड़ 40 लाख रुपया उस क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों को क्या दिया ? यहां मेरे माननीय मित्र बैठे हैं, वे बता दें कि जनजातीय क्षेत्र को कितनी आर्थिक सहायता मिली है। वह जरा बता दें। कल आप बड़ी प्रशंसा कर रहे थे अपनी सरकार की। यहां तो वह कहावत सिद्ध होती है—

"अंधा बांटे रेवड़ियां और मुड़-मुड़ अपने को दे"

बाकियों की क्या परवाह। क्या इस प्रकार से काम चल रहा है हिमाचल प्रदेश में ?

जब मैं कहता हूं कि आज राजभवन कांग्रेस भवन बन गया है तो आप कहते हैं कि यह तो बिल्कुल निराधार आरोप है। हम क्या कहें। चारों प्रांतो की हालत आज यह है कि जहां तो राजभवन में बैठे हुए राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि माने जाते हैं लेकिन वे राष्ट्रपति के नहीं बल्कि आपके ज्यादा प्रतिनिधि हो गये हैं।

वे तो कह रहे थे कि हम गवर्नर्स के ट्रांसफर्स नहीं करते। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इन दस महीनों में आपने तीन-तीन गवर्नर्स के ट्रांसफर क्यों किये। या तो आपको पहले चयन कर लेना चाहिए था कि कौन आपका ज्यादा मददगार हो सकता है फिर उसको वहां भेज देते। लेकिन आप तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बदलते गये। ये भी न जाने कितने दिन वहां रहेंगे। और कितने दिन वहां रहने वाले हैं यह तो आपको पता होगा या हमारे कांग्रेस के मित्रों को पता होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लोग आपको क्षमा करने वाले नहीं हैं। आप चुनाव करवाइये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

जहां तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलायी गयी योजनाओं का संबंध है उसमें शिक्षा मद की ओर भी मैं आपका ध्यान ले आना चाहता हूं कि इस मद के अंतर्गत 28 करोड़ 53 लाख 4 हजार रुपये मांगे गये हैं। मंत्री महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1992-93 का बजट पारित किया था तो उस समय 80 प्राथमिक पाठशालाओं, 35 माध्यमिक पाठशालाओं और 35 उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के बनाने का निर्णय लिया गया था, घोषणा कर दी गयी थी। इन पाठशालाओं का नोटिफिकेशन हो गया था। लेकिन आपकी मोतियों वाली सरकार एक भी पाठशाला नहीं खोल पाई इनमें से। अब भी हम बार-बार राज्यपाल को लिखते हैं, वे कहते हैं कि शीघ्र हम इनको खोल रहे हैं। कब शीघ्र खोलेंगे। एक वर्ष बीत गया, दूसरा वर्ष बीतने वाला है। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिये थे जिन स्कूल्स का नोटीफिकेशन हो चुका है उनको जल्दी से जल्दी खोलें।

अन्त्योदय कार्यक्रम की बात कहना चाहूंगा। यह बात सर्वविदित है कि हर व्यक्ति को कोई भी सरकार एकमुश्त सस्ता राशन उपलब्ध नहीं करवा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। एक लाख परिवारों का चयन किया जिसके अंतर्गत पांच लाख लोगों को डेढ़ रुपये किलो आटा, ढाई रुपये किलो चावल और पच्चीस पैसे किलो नमक उपलब्ध करवाया था और आप जब सत्ता में आये तो क्या किया ? जिन लोगों को यह अन्न मिल रहा था— मैं मानता हूं आप कहेंगे कि कुछ परिवारों के बारे में शिकायत थी, शिकायत थी तो आप उस शिकायत का निराकरण करते, उचित व्यक्तियों का चयन करते। लेकिन आपने क्या किया कि एक लाख से भी घटाकर यह नम्बर 89 हजार कर दिया और इस 89 हजार परिवारों को भी किस दर पर राशन दे रहे हैं ? आपने उसकी कीमते भी बढ़ा दी हैं और आज आप लोग यहां पर जो बढ़ी हुई कीमतें है उसके मुताबिक दो रुपये किलो आटा, तीन रुपये दस पैसे किलो चावल और 25 पैसे किलो नमक दे रहे हैं। क्या यही आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।

हमारा जो द्वितीय चरण था उसके अंतर्गत भी एक लाख

परिवारों का चयन किया जाना था । इस प्रकार से हमारा एक कार्यक्रम था कि पांच वर्ष का अगर हमें समय मिलता तो हर वर्ष हम अगर एक लाख परिवारों का चयन करते . . . । तो पांच वर्ष में हिमाचल प्रदेश की, जहां पचास लाख आबादी है, एक भी व्यक्ति ऐसा न रहता जिसको यह सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध न होता । (घंटी)

विकास कार्यों में जन-सहयोग के लिए हमने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया, जिसको "गांव भी अपना, काम भी अपना" कहा । उसके अंतर्गत 70 प्रतिशत पैसा केन्द्रीय सरकार खर्च कर रही थी और 20 प्रतिशत लोग कर रहे थे । आपने उस कार्यक्रम में भी रोड़ा अटकाया । वह भी धीमी गति से चल रहा है । (समय की घंटी)

अंत में मैं सिर्फ एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज फलों का सीज़न है । उस तरफ बैठे हुए सदस्य ने भी कहा कि आज फलों का सीज़न है । जरा मंडी में जाकर देखिये कि हिमाचल के फल उत्पादकों की हालत क्या है । आज हमको एक पेटी सेब दिल्ली पहुंचाने के बाद 120 रुपया मिल रहा है, अस्सी रुपया हमारा खर्च है । दो रुपये किलो हमको सेब के यहां मिल रहे हैं । कम से कम ऐसी घड़ी में तो समर्थन मूल्य की घोषणा करिए, या जो वहां पर फल उत्पादकों का शोषण हो रहा है, उससे उनको बचाइये ।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और जो यह विनियोग विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय इसको वापिस लेंगे और तीन महीने का विनियोग विधेयक यहां पारित करवायेंगे और नवम्बर मास के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव करवायेंगे, ताकि वहां प्रजातंत्र की स्थापना हो ।

उपसभापति : आपने कहा फलों का मौसम है, हमें तो मालूम नहीं ।

हां, मंत्री जी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : महोदया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इन चारों राज्यों के विनियोग बिल पर कुछ सुझाव दिये, कुछ प्रश्न किये कुछ राजनीतिक बातें कहीं, कुछ सरकार पर निराधार आरोप लगाये ।

बातें इतनी हो गई है, सवाल इतने पूछे गये हैं कि अगर मैं विस्तार में उत्तर देने लगूं, तो हर राज्यों का मामला है, शायद सुबह हो जाए, लेकिन प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त रूप में माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए, मैं उनका उत्तर दे सकूं ।

महोदया, सर्वप्रथम मैं कुछ राजनीतिक सवाल जो यहां माननीय सदस्यों ने उठाये और जैसा मैंने कहा कि सरकार पर कई निराधार आरोप लगाने का प्रयास किया और उसमें खास तौर से बात यहीं से शुरू हुई कि 15 दिसम्बर की अर्ध रात्रि को जनतंत्र की हत्या हुई और चार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया ।

मुझे अच्छी तरह मालूम है 15 दिसम्बर की हालात और 15 दिसम्बर के पहले के हालात, कि 6 दिसम्बर की घटना घटने के बाद इन चारों राज्यों में क्या स्थिति थी, क्योंकि मैं भी एक मंत्री होने के साथ-साथ—उस समय मैं मंत्री नहीं था, खाली संसद सदस्य था । लेकिन इन्हीं चारों राज्यों में से एक राज्य से संबंधित था, राजस्थान । तो मैंने अपने आंखों से देखा है कि 6 दिसम्बर की घटना के बाद किस तरह से वहां सांप्रदायिकता का नंगा तांडव हो रहा था, किस तरह से मासूम बच्चों को मारा और जलाया जा रहा था, किस तरह से सड़कों पर खुली गोलियां चलाई जा रही थीं, किस तरह से बेगुनाह लोगों की हत्यायें की जा रही थीं ।

उस वक्त जब यहां चर्चा हुई थी, तो मैंने एक दो जगह का उदाहरण भी दिया था कि मालपुरा के अंदर किस तरह से एक ऐसे आदमी—जिसने दुकान शायद इसलिए बंद नहीं की थी 8 दिसम्बर को भारत बंद के दौरान कि वह रोज कमाता था और रोज खाता था और जब उसकी दुकान कोई बंद कराने आया, तो उसने आग्रह किया कि मैं शाम का आटा तभी ला सकता हूं जब मैं दिन में दुकान करूंगा । तो न सिर्फ उसको, बल्कि उस एक परिवार के सोलह लोगों को जिंदा जला दिया गया था ।

तो यह एक उदाहरण मैंने उस समय दिया था और इसी प्रकार की घटनायें उत्तर प्रदेश में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई, राजस्थान में भी हुई और जिस तरह से कानून और व्यवस्था चरमरा गई थी, उसका दुबारा से मुझे पूरा उल्लेख करने की या बयान करने की आवश्यकता नहीं है, वरना शायद मैं 6 दिसम्बर की घटना से लेकर 15 दिसम्बर तक की व्याख्या करूं और बयान करूं, तो बजट तो पीछे रह जाएगा और यह राजनीतिक बातें, जिन कारणों से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यह शायद प्रमुख हो जायेंगी ।

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : हिमाचल का भी जिक्र कीजिए, मंत्री जी ।

डा० अबरार अहमद : नहीं, मैं सभी—चारों ही राज्यों का जिक्र करूंगा ।

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो मंत्री जी है, अबरार मियां, यह तो बैंकिंग के मंत्री हैं । इनको कोई अधिकार नहीं है इसका जवाब देने का—या तो मनमोहन सिंह जी दें या फिर चन्द्र शेखर मूर्ति जी दें । . (व्यवधान)

6.00 P. M.

नहीं-नहीं, यह बैंकिंग के मंत्री हैं, एक्सपेंडीचर के नहीं । . . . (व्यवधान)

उपसभापति : बैंकिंग के मंत्री है तो पैसा तो बैंक से चल रहा है ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : बैंक से उधार लिया जाता है। . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : पैसा तो बैंक में से भेजेंगे। . . . **(व्यवधान)** यह चाबी नहीं देंगे तो कैसे आएगा।

डा० अबरार अहमद : महोदया, माननीय सदस्य सारंग साहब मेरे बड़े नज़दीकी साथी हैं।

उपसभापति : यह मालूम नहीं था। . . . **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद : यह बैंकिंग या इंश्योरेंस तो एक पोर्टफोलियो है, बाकी वित्त राज्य मंत्री असल में मेरा डेज़ीग्नेशन है। जब वित्त राज्य मंत्री मेरा डेज़ीग्नेशन है तो वित्त से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

खैर, मैं जो 6 दिसम्बर और 15 दिसंबर की बात कह रहा था और जो सवाल यहां पैदा किए गए थे किस तरह से 15 दिसंबर की अर्धरात्रि को जनतंत्र की हत्या हुई है तो मैं उस स्थिति पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा था कि 6 दिसंबर की घटना घटने की बाद कैसे 15 दिसंबर तक सांप्रदायिकता का तांडव हुआ और कैसे मासूम बच्चों को, महिलाओं को . . . **(व्यवधान)**

श्री महेश्वर सिंह : हिमाचल प्रदेश में तो एक चींटी तक नहीं मरी, कोई केस दर्ज नहीं हुआ, कहीं कोई इस प्रकार का मामला नहीं हुआ, तो वहां पर सरकार क्यों भंग की गई? . . . **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद : महोदया, जिस प्रकार की कानून-व्यवस्था बन गई थी और जिस प्रकार के मुख्य मंत्रियों के आचरण प्रारम्भ हो गए थे उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के पास सिवाय उन राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के, कोई रास्ता नहीं रह गया था।

श्री महेश्वर सिंह : उस समय के राज्यपाल की जो रिपोर्ट है, उस समय के राज्यपाल महोदय की हिमाचल के प्रति जो रिपोर्ट है क्या उसको सभा पटल पर रखेंगे? उसमें तो यह कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी नियंत्रण में है। यह 14 दिसंबर की रिपोर्ट है और 15 की रात को क्या हो गया था?

डा० अबरार अहमद : महोदया, माननीय सदस्य अभी शायद इस बात से पूरी तरह सहमत हों या न हों . . .**(व्यवधान)** . . .

श्री सिकन्दर बख्त : आपके बस का सब्जेक्ट नहीं है। . . .**(व्यवधान)** . . .

उपसभापति : अभी आप उन्हें बोलने दीजिए। . . .**(व्यवधान)** . . .

SHRI SIKANDER BAKHT : Madam, he has started on a wrong footing.

SHRI V. NARAYANASAMY : let him consider the paints raised by the Members.

श्री कैलाश नारायण सारंग : महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक को क्यों आपने भंग नहीं किया?

उपसभापति : अभी आप उन्हें बोलने तो दीजिए। वह आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलने दीजिए। . . .**(व्यवधान)** . . .

Let him say his viewpoint.

श्री सिकन्दर बख्त : आपको जो असल बातों का जवाब देना है वह दीजिए। आप इन बातों में मत जाइये।

श्री महेश्वर सिंह : मैडम, अगर इनको पता नहीं है, गृह मंत्री महोदय बैठे हैं, यह बता दें। . . .**(व्यवधान)** . . .

डा० अबरार अहमद : नहीं-नहीं, मैं खुद ही बता रहा हूं। आप सुनिए। आपने जो काम किए हैं उनको सुनने की आप थोड़ी हिम्मत रखिए। जब वह बात सामने आई, जो चीज़ मैंने यह शुरू की और जो चीज़ मैंने दोहराई है, जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा, उस टाईम पर मैं मंत्री नहीं था, मैं एक संसद सदस्य था। उसके बाद जब भी यहां बहस हुई है, मैं बोला हूं। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और हिमाचल प्रदेश के भी मुख्य मंत्री का जिस तरह का आचरण था, जैसे बेगुनाह लोगों को मारा गया, जिस तरह से वहां सड़कों पर गोलियां चलाई गई, जिस तरह से वहां लोगों को जिंदा जलाया गया, जिस तरह से सवा-सवा महीने के बच्चों को . . .**(व्यवधान)**. . . अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार नहीं, चार-चार बार मैं कहता हूं . . .**(व्यवधान)**. . . अगर बार-बार उसी बात को सुनना चाहते हैं तो मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। . . .**(व्यवधान)**. . .

श्री महेश्वर सिंह : हिमाचल प्रदेश में कहां गोली चली? कहां चली हिमाचल में गोली?

श्री सिकन्दर बख्त : आप बताइये? . . . **(व्यवधान)**. . .

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : आप कोई बात तो बताइये? . . .**(व्यवधान)**. . .

SHRI V. NARAYANSAMY: Madam, the Chief Minister of Himachal Pradesh went to Ayodhya. He is a RSS man. We know everything. What are you saying? ...*(interruptions)*....

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : महोदया . . .**(व्यवधान)**. . . हिमाचल प्रदेश से भेजे, उत्तर प्रदेश से . . .**(व्यवधान)**. . . चारों ओर से भेजे और वह मस्जिद गिराई गई। इसलिए वह उतने ही जिम्मेदार हैं जितने उत्तर प्रदेश के लोग हैं। . . .**(व्यवधान)**. . .

उपसभापति : बोलिए । . . .(**व्यवधान**). . . अभी आप लोग शांति से सुनिए । पैसे का मामला है, इसलिए सुन लिजिए ।

श्री सिकन्दर बख्त : पैसे की बात करिए ।

श्री महेश्वर सिंह : मैडम, पैसे के मामले में तो . . .(**व्यवधान**). . .

उपसभापति : पैसा आपकी स्टेट को जा रहा है, तकलीफ हो जाएगी अगर पास नहीं करेंगे ।

डा० अबरार अहमद : महोदया, मैं पैसे की बात भी करूंगा । . . .(**व्यवधान**). . . महोदया, मैंने शुरू में ही कहा . . .(**व्यवधान**). . .

उपसभापति : शांति ।

डा० अबरार अहमद : इस बजट स्पीच में सरकार पर बहुत से निराधार आरोप लगाए हैं और मेरा यह कर्तव्य बन जाता है कि मैं उन गलत आरोपों को भी यहां स्पष्ट करूं और सच्चाई क्या है वह बताऊं । कहने को इनकी तरफ से ही हरेक बात कह सकते हैं, सरकारी पक्ष अगर कहे, सरकार कहे तो सिर्फ पैसे की बात करें, तो यह अपने आप में ग्लानि वाली बात है । जो बात कही है उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए । पैसे की बात तो कहनी है, पैसे की बात पर चर्चा थी, लेकिन आप लोगों ने जो राजनीतिक बात कही और जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाया तो उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए । आप लोगों ने ट्रांसफर की बात कही, वह छोटी बात है ट्रांसफर करना एक सरकारी प्रक्रिया है । शायद अगर लिस्टें देखें तो आपकी सरकारों में जिस तरह से ट्रांसफर हुए और जिस तरह से आर०एस०एस० के लोगों की लिस्टें जाया करती थीं ट्रांसफर होने की अधिकारियों के, वह लिस्टें मेरे पास रखी हैं । अगर उन लिस्टों को आप देखें, एक महीने में 6-6 बार ट्रांसफर होते थे । छांट-छांटकर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई आदमी है तो उसको कहां लगाया जाय ? किसी पिछड़े वर्ग का है तो उसे कहां लगाया जाए, सवर्ण वर्ग का है तो उसे कहां लगाया जाए ? इस तरह की स्थानांतरण नीतियां थीं । अब अगर राज्यपाल नहीं स्थानांतरण कर रहे हैं और आपने अपने लोगों को नहीं लगा रखा था तो क्यों तकलीफ हो रही है ? आपने निश्चित रूप से अपने लोगों को कहीं फिक्स कर रखा था जिनसे आप चुनाव के अन्दर लाभ लेना चाहते थे और अगर आज राज्यपाल उन लोगों को हटा रहे हैं या बदल रहे हैं तो उससे आप लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए ? अधिकारी तो सब एकसे हैं, कोई भी अधिकारी रहे, उन अधिकारियों के हटने से आप लोग सदन में क्यों आपत्ति उठा रहे हैं ? राजभवन की बात आपने कही कि राजभवन सरकारी कार्यालय बन गए हैं, राजभवन कांग्रेस के कार्यालय बन गए हैं . . .(**व्यवधान**). . . यह बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा हूं, आप सुनने की हिम्मत रखिए, सरकार पर जब आरोप लगाया है तो सुनने की हिम्मत रखिए । राजभवनों के बारे में आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यालय बन गए हैं । कौन कहता है कि कांग्रेस के कार्यालय बन गए हैं ? राजभवन बिल्कुल अपनी जगह जिस प्रकार से चलते थे, आज भी वैसे ही चल रहे हैं । राज्यपालों के स्थानांतरण की बात कही गयी, महोदय जिस समय सन् 77 के अंदर सरकार बदली, सन् 89 के अंदर सरकार बदली, इन्होंने एक कलम से राज्यों के इस्तीफे ले लिए थे, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि दो साल पहले जब श्री नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री बने, उन्होंने एक राज्यपाल को नहीं हटाया . . .(**व्यवधान**). . . सुनिए, जवाब सुनिए और न सिर्फ तब हटाया बल्कि आज तक उन्होंने किसी राज्यपाल को नहीं हटाया । जिन राज्यपालों ने अपने स्वास्थ्य के कारण से या किसी भी कारण से दूसरी जगह आने की इच्छा जाहिर की तो फिर भी उनका सम्मान करते हुए, जो राज्यपाल इन्होंने लगाए थे उनको आज तक रखते हुए, उनकी सुविधा के अनुसार दूसरे राज्यों के अंदर भेजा और ये बता दें कि जब दो बार इनकी सरकार आई, जिनका इन्होंने समर्थन किया था, किसी एक भी राज्यपाल को रहने दिया हो ?

श्री महेश्वर सिंह : मैडम, इन्होंने कहा कि गवर्नर्स को इसलिए बदला कि उनका स्वास्थ्य खराब था . . .(**व्यवधान**)

उपसभापति : देखिए, यहां सवाल-जवाब नहीं हो रहे हैं । We are not in the Question Hour now, neither have I identified anybody for supplementary. The Minister is replying.

आप की बात उन्होंने सुनी, अगर वह आपको बीच में टिप्पणी कर रहे होते या टोका-टोकी कर रहे होते तो मैं उन्हें भी मना करती । अब वह बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए । जाहिर बात है, यह स्वाभाविक है कि आपकी बात से वह सहमत नहीं होंगे और उनकी बात से आप सहमत नहीं होंगे । डेमोक्रेसी का मतलब है आप एक-दूसरे की बात को सुन लीजिए ।

डा० अबरार अहमद : महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने जानना चाहा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा, उसके पहले और आज की स्थिति में क्या अन्तर है और कुछ माननीय सदस्यों ने तो यह कहा कि स्थिति और बिगड़ी है । मैं आपके माध्यम से उन माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अगर 6 दिसम्बर और 15 दिसम्बर के पहले की स्थिति देखें तो शायद हर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर इन राज्यों में सुनने में आता था कि आज फलां जगह झगड़ा हो गया, इतने लोग मारे गये, जला दिए गए, लेकिन उस 15 दिसम्बर के बाद आज तक इन चार राज्यों के अंदर अपवादस्वरूप कहीं कोई बात हो सकती है, लेकिन कहीं किसी सांप्रदायिक झगड़े का उदाहरण ये नहीं दे सकते । . . .(**व्यवधान**). . . महोदया, उसके बाद वहां विकास के कार्यक्रम शुरू हुए जिनके डाटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिनके फिगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन पहले जिस प्रकार से वहां सांप्रदायिक तांडव चलता था और आदमी सोता था तो यह मानकर सोता था कि मैं सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, वह आतंक और डर इन चार राज्यों के लोगों के दिल से,

उन लोगों के हृदय से निकल गया । महोदया, इस संबंध में मैं उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ घटनाओं के उदाहरण जैसे बलात्कार, लूट, हत्या, फिरौती और अपहरण . . .(व्यवधान). . .

श्री सिकन्दर बख्त : आय एम सॉरी, मुझे इस लफ्ज से खास एतराज है । इन्होंने बड़ी आजादी के साथ औरतों पर हुई जिस्मानी ज्यादती के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, हम इस तरह बेतकान इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं ।

We are not in the Question Hour now, neither have I identified anybody for supplementary. The Minister is replying

This is a vulgar word. Please don't use this word. Unfortunately, everybody uses this wond.

نیتا ورودھی دل "شری سکندر بخت": آئی۔ ایم۔ ساری۔ مجھے اس لفظ سے خاص اعتراض ہے۔ انہوں نے بڑی آزادی کے ساتھ عورتوں پر ہوئی زیادتیوں کیلئے جو لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم اس طرح بے تکان اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔

उपसभापति : सिकन्दर बख्त साहब, जब एक वाक्या हुआ है तो उसे किसी लफ्ज में तो बोला जाएगा ।

श्री सिकन्दर बख्त : यह कह सकते हैं कि औरतों पर फिजिकल असाल्ट होता है, जिस्मानी ज्यादती होती है ।

شری سکندر بخت : یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں پر فزیکل اسالٹ ہوتا ہے جسمانی زیادتی ہوتی ہے

डा० अबरार अहमद : महोदया, मैं यह बता रहा था कि अगर इनके फिगर देखें और हर साल 1991 में, 92 में, 93 में, एक जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक के तीनों सालों के आंकड़ों की तुलना करें तो उससे साफ जाहिर होता है कि 1993 के अन्दर यह सारी घटनाएं कम हुई हैं और माननीय सिकन्दर बख्त साहब को जिस अल्फाज़ के बारे में ऑब्जेक्शन है . . .(व्यवधान). . .

श्री सिकन्दर बख्त : जिस लफ्ज के बारे में ।

شری سکندر بخت: جس لفظ کے بارے میں۔

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

डा० अबरार अहमद : मैं उस लफ्ज का नाम नहीं ले रहा हूं बल्कि उस लफ्ज के डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं कि उसके अन्दर 1993 में जहां . . .(व्यवधान). . .

उपसभापति : सिर्फ हरकत कहें . . .(व्यवधान) . . .

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) : क्या लफ्ज है ?

डा० अबरार अहमद : बलात्कार ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : आप बताइए, यह अनपार्लियामेंटरी थोड़े ही है । . . .(व्यवधान). . . हद हो गई ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let us now think about the issue.

डा० अबरार अहमद : तो महोदया, बलात्कार की जहां वर्ष 1993 के अंदर 882 घटनाएं हुई वहां 1992 के अंदर 949 घटनाएं हुईं । लूट की जहां 1993 में इन महीनों के दौरान 3192 घटनाएं हुई वहां 1992 में 3510 थीं और 1991 में 3409 घटनाएं थीं । हत्या की जहां 1993 में 5114 घटनाएं थीं वहां 1992 में 5138 और 1991 में 5252 घटनाएं थीं । इसी तरह से अगर फिरौती और अपहरण की घटनाओं का आंकड़ों देखें तो वह भी 1993 के अंदर कम है । तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन सब के अंदर कमी हुई है । जो माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि इन राज्यों की स्थिति 15 दिसंबर के बाद क्या है, राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या है और पहले उसकी स्थिति क्या थी ? वह मैंने बताई ।

इसके साथ ही साथ मैं अपने असल विषय बिल्ल पर आना चाहूंगा । इस संदर्भ में चारों राज्यों के विनियोग बिल मैंने यहां प्रस्तुत किए थे । सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा । कल माननीय सदस्य सुशील-बरोंगपा जी ने, बैठे हैं, उन्होंने कुछ सवाल यहां उठाए थे हिमाचल प्रदेश के बारे में और उन्होंने बाढ़ से जो 400 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को हुआ, उसका उल्लेख किया था और माननीय सदस्य ने भी उसका उल्लेख किया है, तो प्रदेश सरकार ने बाढ़ के अंदर जो नुकसान हुआ है उसमें 404.76 करोड़ का अनुमान आंका है । इस संदर्भ में केन्द्र सरकार ने एक उच्चस्तरीय दल अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में निरीक्षण करने के लिए भेजा था । उसकी रिपोर्ट जल्दी ही अपेक्षित है । उसकी रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से इस संदर्भ में उचित कार्यवाही की जाएगी । दूसरी बात, एक माननीय सदस्य ने जनजातीय क्षेत्रों में नाभिक बजट के अंदर 15 लाख रुपए देने के प्रावधान की बात कही थी । मैं, महोदया, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में वार्षिक योजना का 9 प्रतिशत भाग जनजातीय क्षेत्रों के लिए चिह्नांकित किया जाता है । वर्ष 1992-93 में जनजातीय उपयोजना में 43.74 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 49.50 करोड़ किया गया है अर्थात् 13 प्रतिशत की इसके अंदर वृद्धि की गई है । इस योजना के अंतर्गत

गत वर्ष प्रति जनजातीय क्षेत्र के विकास-खण्ड में 7.50 लाख रुपए का प्रावधान था इस वर्ष प्रति विकास खण्ड में 10 लाख रुपए का प्रावधान है अर्थात् 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

महोदया, इसी के साथ ही मैं बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जो वर्ष 1993-94 की योजना का आकार है, इसमें 550.73 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो कि 1992-93 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1992-93 की योजना 479.50 करोड़ रुपए थी, जिसके विरूध्द यह 479.01 करोड़ रुपए हुआ। वर्ष 1993-94 की योजना में विकासात्मक कार्यों के लिए मुख्य प्रावधान है, वह मैं यहां पर माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा। कृषि और संबंधित जो सेवाएं हैं, वर्ष 1992-93 में इसके लिए 83.38 करोड़ रुपए का प्रावधान था जो वर्ष 1993-94 में बढ़ाकर 93.58 करोड़ किया गया है। अगर प्रतिशत में देखें तो 12.23 प्रतिशत वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास में देखें तो वर्ष 1992-93 के अंदर 16.24 करोड़ रुपए का प्रावधान था जो वर्ष 1993-94 में बढ़ाकर के 19.66 करोड़ किया गया है। अगर प्रतिशत में देखें तो 21.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऊर्जा विकास में देखें तो 1992-93 में 77.92 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर वर्ष 1993-94 में 112.10 करोड़ किया गया है और प्रतिशत में अगर देखें तो 43.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उद्योग एवं खनिज में वर्ष 1992-93 के अंदर 13.14 करोड़ का प्रावधान था, जो वर्ष 1993-94 में बढ़ाकर के 14.70 करोड़ किया गया है और प्रतिशत में देखें तो 11.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी तरह से परिवहन, सड़क एवं पुल इत्यादि के अंदर 14.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सामाजिक सेवाओं में भी जहां 173.41 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 174.72 करोड़ किया गया है। हिमाचल प्रदेश का वर्ष 1993-94 का बजट संसद में मार्च, 93 में प्रस्तुत किया गया था तथा संसद के द्वारा वर्ष के प्रथम 6 माह के लिए 915.53 करोड़ रुपए का लेखानुदान पारित किया गया था। अब संसद द्वारा पूर्ण वर्ष के लिए जिसमें प्रथम 6 माह के लिए भी पारित किया गया अनुदान शामिल है, स्वीकृत करना है। तो यह हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जो सवाल माननीय सदस्यों ने किए हैं, उसके संदर्भ में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

महोदय, मध्य प्रदेश का योजनागत खर्च 2400 करोड़ रुपए था, उसके अंदर जो मुख्य क्षेत्र है, उनके संबंध में क्योंकि माननीय सदस्यों ने जितने सवाल पूछे हैं खास तौर से जो विकास के कार्य हैं या जो जनता के आम उपयोग के साधन और कार्य हैं, उनके विकास के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं कि सरकार उसमें क्या कर रही है या किस प्रकार से पैसा दे रही है। तो उस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने किस तरह से पैसों का प्रावधान रखा है.। तो उसमें जो पॉवर का है, पॉवर में 1992-93 के अंदर 465.59 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसको 1993-94 में बढ़ा करके 746.54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य 16195 मेगावाट रखा गया है, इस अतिरिक्त पैसे के माध्यम से सिंचाई और बाढ़ के अंदर देखें तो 1992-93 के अंदर 411.87 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो 1993-94 में बढ़कर 513.41 करोड़ रुपए किया गया और 1993-94 में 105 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई में लाने का प्रस्ताव है। 9500 हेक्टेयर क्षेत्र में से पानी के नए रास्ते बनाने का प्रस्ताव है और 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ाबंदी का सुझाव है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र-खाद्यान्न का 190 लाख टन तथा तिलहन का 38.6 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्योग एवं खनिज में 77.02 करोड़ रुपए से 91.28 करोड़ का प्रावधान चालू वर्ष में उद्योग के लिए वृद्धि वाले क्षेत्रों में पर्याप्त आधार पर सुविधा तैयार करने पर जोर दिया गया है और इस तरह से 6 वृद्धि केन्द्रों को चालू साल के लिए स्थापना का प्रावधान है। ग्रामीण उद्योगों के लिए तीन योजनाएं खास तौर से चालू करने की योजना है। हस्तकला के विकास के लिए प्रतिष्ठा योजना, रेशम पालन के विकास के लिए कल्पवृक्ष योजना और खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए ग्राम योजना। यह तीन योजनाएं हैं, जो ग्रामीण उद्योगों के लिए खास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर प्रस्तावित की गई हैं। शिक्षा के संदर्भ में जो गत वर्ष 184.43 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 213.56 करोड़ रुपए किया गया है और उसके माध्यम से चार लाख विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर तथा दो लाख मिडिल स्कूल स्तर पर अतिरिक्त रूप से शिक्षा में जोड़ने का लक्ष्य इस संदर्भ में रखा गया है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में 10 कालेज भवनों के निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 61.29 करोड़ का जो प्रावधान गत वर्ष था, उसको बढ़ाकर 76.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसमें 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 46 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्टाफ तथा आवास बनाने का भी प्रस्ताव है। सामाजिक कल्याण एवं पोषक—इसके अंदर गत वर्ष 27.14 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर के 34.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके अंदर इसमें सड़क आदि पर जो 58.69 करोड़ रुपए का गत वर्ष प्रावधान था, उसको बढ़ाकर के 93.47 करोड़ किया गया है। तो इस प्रकार से जो भी जनसेवाएं हैं, उन सभी के संदर्भ में और जो आवश्यक सेवाएं हैं, उनके संदर्भ में और जो महत्वपूर्ण कार्य आम आदमी के लिए हैं, उन सभी के अंदर बजट प्रावधानों को बढ़ाया गया है, जिससे उन सेवाओं की पूर्ति की जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जितना इसके अंदर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह भी मैंने इस संदर्भ में बताया है।

इसी के साथ-साथ 1993-94 के प्रथम 4 माह अर्थात् अप्रैल-जुलाई, 93 की अवधि में 2581.21 करोड़ रुपए का व्यय हुआ, जो कि पिछले वर्ष के प्रथम चार माह की अवधि के व्यय में 2110.73 करोड़ रुपए की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक व्यय मुख्य रूप से विकास योजनाओं पर अधिक ध्यान देने के कारण हुआ है। इस वर्ष के बारे में सिविल डिपोजिट के रूप में 219 करोड़ की राशि मुक्त की गई। इसमें से 50 करोड़ रुपए वन विभाग में तेंदु पत्ता श्रमिकों को बोनस देने के लिए, 61 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए एवं 44 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को विद्युतीकरण के

लिए दिए गए है । तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके लिए यह प्रावधान किया गया है ।

वर्ष 1993-94 के प्रथम 6 माह की अवधि के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा एक कार्य योजना निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत विकास से संबंधित कार्यों पर 243 करोड़ रुपए का व्यय होगा । इस योजना के अंतर्गत उनको छोटे सिंचाई तालाबों, स्टॉप डैम, सिंचाई कुओं, ग्रामीण विकास, पेय जल व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, आदिवासी छात्रावासों का उन्नयन आदि को लिया गया है । इस वर्ष जुलाई के अंत तक 25091 सिंचाई कुओं, 611 स्टॉप डैम तथा 136 ग्रामीण आवास निर्मित किए जा चुके हैं । इनके अलावा 34068 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है एवं 1179 ग्रामों में पेय जल आपूर्ति की गई है । तो यह मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य और जनहित के कार्य किए गए हैं, जिनके लिए अतिरिक्त पैसे का प्रावधान किया गया है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका संक्षेप में मैंने उल्लेख किया है ।

इसी प्रकार, महोदया, उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और बहुत सुझाव भी उन्होंने दिए हैं । इनका उत्तर संक्षेप में जो सवाल उनके थे और उनमें खासकर जो आवश्यक मुद्दे हैं, सेवाएं हैं, जिनकी खास तौर से लोगों को आवश्यकता है, उनमें पैसे का किस तरह से प्रावधान किया गया है निश्चित रूप से वह ध्यान उनके लिए रखा गया है, तो उन सेवाओं में भी बढ़ोत्तरी होगी । तो मैं संक्षिप्त रूप से खास खास जो योजनाएं हैं, उनमें गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना धन रखा गया है वह माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं ।

महोदया, जो योजना खर्च है वह 4050 करोड़ रुपए का इस वर्ष रखा गया है जो कि गत वर्ष केवल 3857 करोड़ रुपए था । इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंटर आउट से 880 करोड़ रुपए का है जो कि गत वर्ष 85 करोड़ का था । बृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 395.05 करोड़ रुपए रखे गए हैं जब कि गत वर्ष वह केवल 70.56 करोड़ थे । ऊर्जा क्षेत्र में 1531.55 करोड़ रुपया रखा गया है जब कि गत वर्ष 1461.82 करोड़ रुपया था । यातायात के क्षेत्र में 481.55 करोड़ रुपया रखा गया है जब कि गत वर्ष वह 341.52 करोड़ रुपया था । वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर 5.5 करोड़ रुपया रखा गया है जब कि गत वर्ष वह सिर्फ 1.80 करोड़ रुपया था । पर्यटन के संबंध में 16.5 करोड़ रुपया रखा गया है जब कि गत वर्ष मात्र 12.14 करोड़ रुपये का प्रावधान था । सामान्य शिक्षा में इस वर्ष 217.20 करोड़ रुपया रखा गया है जबकि गत वर्ष मात्र 177.96 करोड़ रुपये का प्रावधान था । तकनीकी शिक्षा में 64.51 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जब कि गत वर्ष यह 53.16 करोड़ था । शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 84.87 करोड़ रुपए का प्रावधान है जब कि गत वर्ष वह 72.35 करोड़ था । पोषण के लिए 23.22 करोड़ रुपया रखा गया है जब कि गत वर्ष सिर्फ 8.01 करोड़ का प्रावधान था । सार्वजनिक निर्माण, भवन निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपया रखा गया है जब कि गत वर्ष मात्र 1 करोड़ रुपए था । विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सैलिक भूमि रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट जिसकी लागत 350 करोड़ रुपए है चालू वर्ष में अंतिम रूप उसको दिया गया है । अनपरा परियोजना थर्मल पावर की 500 मेगावाट की इकाई चालू साल में शुरू होने की आशा है । अनपरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट तैयार है । उसके लिए बजट का प्रावधान है । बुंदेलखंड विकास खंड के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है । पूर्वांचल विकास खंड के लिए 40 करोड़ रुपया है । कैनाल सर्विस रोड पर मैटलिंग के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान है । गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा इत्यादि के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है । चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण के लिए सहकारी क्षेत्र में 13.03 करोड़ का प्रावधान है और राज्य क्षेत्र में 16.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा योजना में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत अदा करने के लिए 20.44 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर मिल फेडरेशन को ऋण के रूप में और 45.99 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश शुगर फेडरेशन को दिये गये हैं । नये उद्योगों को 50 करोड़ रुपये ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है । महिलाओं में जागृति पैदा करने के लिए एक नई योजना "महिला जागृति योजना" की शुरूआत की जा रही है । नई योजना में "आपका अपना नलकूप" इसके लिए 1.70 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । नये प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए 2.11 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए 1.38 करोड़ रुपये का, यूनानी होस्पिटल तथा आयुर्वेदिक होस्पिटल की स्थापना के लिए 84 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है । अगर इन सब राशियों को देखें और गत वर्ष की तुलना की जाए तो हर क्षेत्र के अंदर विकास करने के लिए, हर क्षेत्र के अंदर गरीब को, मजदूर को, आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए इन राशियों को बढ़ाया गया है । कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पूर्व में राशि का प्रावधान नहीं था । जहां आम आदमी को राहत मिल सकती है, गरीब को राहत मिल सकती है, मजदूर को राहत मिल सकती है वहां इस बजट के दौरान उनको राहत पहुंचाने के लिए अधिक राशि का प्रावधान करने का प्रयास किया गया है ।

इसके साथ माननीय सदस्यों ने कई सवाल पूछे । उसमें माननीय टी० एन० चतुर्वेदी कल बोल रहे थे, वह यहां नहीं हैं, उन्होंने कहा था कुछ ऐसी योजनाएं थीं जो अच्छी चल रही थीं लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उनको बंद कर दिया गया । महोदया, अगर वास्तव में जनहित की योजना हो, अच्छी योजना हो, राष्ट्रहित की योजना हो तो सरकार उनको कभी बंद नहीं करती बल्कि उनको बढ़ावा देती है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, वह यहां हैं नहीं, फिर भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो वहां मिनी डेरी योजना 91-92 में लागू की गई थी वह सिर्फ 17 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रारम्भ की गई थी अब वर्ष 1993-94 में 13 और डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार किया गया है । रोजगार योजना के लिए 38.90 करोड़

रुपये की व्यवस्था की गई है। ऐसी बात नहीं है कि योजना कोई भी अच्छी हो उसे सरकार बदले, उसे बंद कर दी जाए। अगर वास्तव में जनहित की योजना हो, राष्ट्रहित की योजना हो उसको बंद करने की बजाय और बढ़ाया जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं। इसके साथ बिजली के संबंध में चतुर्वेदी जी ने, मालवीय जी ने, मोहम्मद सलीम जी ने कहा। मैं इस संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए नवीनीकरण और उसको सुदृढ़ करने के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि विद्युत परिषद को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति की जा रही है। सत्य प्रकाश मालवीय जी ने नैनी पुल के निर्माण के बारे में सवाल पूछा था। वह भी उपस्थित नहीं हैं।

उपसभापति : उनको इंटरेस्ट नहीं है।

डा० अबरार अहमद : वह तो कह कर चले गये हैं।

उपसभापति : आप भी कह कर चले जाइये।

डा० अबरार अहमद : मुझे तो जवाब देना पड़ रहा है। इलाहाबाद में यमुना पर नैनी पुल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा 22 दिसम्बर, 1992 को अनुमोदित किया जा चुका है। इसके साथ-साथ शंकर दयाल सिंह जी भी नहीं हैं उन्होंने ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के संबंध में यहां प्रश्न उठाया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चालू वित्त वर्ष में 93-94 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जून, 93 के अंत तक 39 हजार 992 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के 20 हजार 330 परिवार हैं।

एक बात सभी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों ने लगभग उठाई खासतौर से चतुर्वेदी जी ने, शंकर दयाल सिंह जी ने, सत्य प्रकाश मालवीय जी ने, सलीम जी ने, चतुरानन मिश्र जी ने, माननीय राम नरेश यादव जी ने यू० पी० के अंदर सूखे के बारे में। इस संदर्भ में सूखे की समस्या के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि शासन द्वारा 40 डिस्ट्रिक्ट को सूखा ग्रस्त घोषित किया जा चुका है। इन 40 जनपदों में भूराजस्व, सिंचाई तथा अन्य मुख्य देयों की वसूली 31 अक्तूबर, 93 तक स्थगित कर दी गई है। इसके साथ-साथ सूखा ग्रस्त जनपदों में कृषि कार्यक्रम, सिंचाई की व्यवस्था, रोजगार कार्यों, जल आपूर्ति एवं अन्य राहत कार्यों की मोनिटरिंग हेतु एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। सूखे की स्थिति से दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था की जा रही है। विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये दिये गये। सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 1.25 करोड़ रुपये की राशि, पशु चिकित्सा के लिए 1.5 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति की जा चुकी है। राहत कार्यक्रमों अलावा जिला अधिकारियों को 9.64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जिले में उपलब्ध 273.45 करोड़ की धनराशि को रोजगार परक कार्यक्रमों को चलाकर शीघ्र उपयोग करने के निर्देश दे दिये हैं। सूखा ग्रस्त क्षेत्र में डीजल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। सूखे से संभावित रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य किया जा रहा है। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाने की कार्य योजना भी बनाकर कार्यान्वित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों, गन्ना मिलों के बकाया की बात कही गई थी। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि अभी 131 करोड़ का बकाया है और पिरोई सत्र 1992-93 में 15 अगस्त, 1993 तक चीनी मिलों के द्वारा गन्ना मूल्य के रूप में कुल 1319.40 करोड़ रुपये देय थे जिसमें से कुल 12.33 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है जो कुल देय का 93.32 प्रतिशत है और शेष की राशि प्राप्त 88.17 करोड़ रुपये है जो कुल देय का 6.4 प्रतिशत होता है और शेष की भुगतान की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा इसका प्रयास किया जा रहा है कि सितम्बर, 1993 तक पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। ये उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों ने सवाल किये थे। मालवीय जी नहीं हैं। अन्य माननीय सदस्यों ने डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बारे में पूछा है ... (व्यवधान)...

श्री महेश्वर सिंह : हमारे सवालों का भी जवाब दे दीजिए।

डा० अबरार अहमद : मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास चार राज्यों का मामला है। जितने सवाल पूछे गए हैं, अगर उनका विस्तृत रूप में जवाब दिया जाय तो सुबह हो जाएगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनने की हिम्मत रखिये, जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं।

उपसभापति : आपकी आपत्ति नहीं है, हाउस की आपत्ति है। अभी काश्मीर का बजट भी है। इसलिए आप संक्षेप कर दीजिए।

डा० अबरार अहमद : भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बारे में एक बिल ला मिनिस्ट्री में बनाया जा रहा है और शिक्षा मंत्रालय आगामी शीतकालीन अधिवेशन में यह बिल पार्लियामेंट में पेश करेगा और कैबिनेट इसे पहले ही सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर चुकी है।

उपसभापति : अभी और क्या रह गया है?

डा० अबरार अहमद : अभी तो मेरा स्टेट राजस्थान है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मंत्री महोदय चार राज्यों का ब्यौरा दे रहे हैं और इन्होंने जो यह बात कही कि अभी मेरा स्टेट राजस्थान बाकी है तो क्या ये तीनों सौतेले हैं? ऐसा व्यवहार क्यों है? यह बहुत गलत बात है। ये चारों आपके हैं।

डा० अबरार अहमद : लेकिन सबसे कम है। चारों नहीं, इनके अलावा भी मेरे हैं। मैं संक्षिप्त में राजस्थान के बारे में

कहना चाहूंगा । बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं राजस्थान के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि जो खास सेवायें है, जिनसे आम आदमी को, मजदूर को, मध्यम वर्ग को राहत मिलती है उसके अन्दर जो बजट प्रोविजन रखे गये हैं, प्रावधान रखे गये हैं और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो राशि रखी गई है वह मैं बताना चाहूंगा ।

श्री शिव चरण सिंह : अकाल के लिए इसमें प्रोविजन नहीं है ।

डा० अबरार अहमद : कृषि और संबंधित कार्यक्रम के लिए 1993-94 में 182.15 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो गत वर्ष मात्र 130.05 करोड़ रुपये का था । ग्रामीण विकास के लिए 115.89 करोड़ रुपये का प्रावधान है तो गत वर्ष सिर्फ 100.94 करोड़ रुपये का मात्र था । विशिष्ट क्षेत्र विकास के लिए इस वर्ष 11 करोड़ रुपयों का प्रावधान है जो गत वर्ष मात्र 1.36 करोड़ रुपयों का था । सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए इस वर्ष 301.42 करोड़ रुपयों का प्रावधान है जो गत वर्ष मात्र 260.87 करोड़ रुपयों का था । ऊर्जा के लिए 468.05 करोड़ रुपयों का प्रावधान है जो गत वर्ष मात्र 395.60 करोड़ रुपयों का था । उद्योग एवं खनिज में इस वर्ष 83.67 करोड़ का प्रावधान है जब कि गत वर्ष 79.61 करोड़ रुपया था । परिवहन में 93.870 करोड़ रुपयों का प्रावधान है जो कि गत वर्ष 76.39 करोड़ रुपये था । वैज्ञानिक सेवा एवं शोध के लिये इस वर्ष 3.77 करोड़ रुपया है जो कि गत वर्ष 2.90 करोड़ रुपये का था । सामाजिक एवं सामुदायिक विकास सेवाओं के लिये इस वर्ष 414.50 करोड़ रुपयों का प्रावधान है जो कि गत वर्ष 337.99 करोड़ रुपये का था । आर्थिक सेवाओं पर इस वर्ष 11.11 करोड़ का प्रावधान है जो कि गत वर्ष 9.06 करोड़ रुपये मात्र था । माननीय सदस्यों ने जो सूखे के बारे में और अन्य बातों के बारे में पूछा है, उस संबंध में जो प्रोग्राम है और उनमें जो प्रावधान रखा है वह भी मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा ।

एकीकृत ग्रामीण विकास के लिये 2 हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान है । सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के लिये 335 करोड़ रुपये का प्रावधान है । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है और चिकित्सा एवं . . .(व्यवधान) ।

श्री शिव चरण सिंह : इस वर्ष सूरत में सूखा पड़ा और राजस्थान के 26 जिले ऐसे हैं जहां सूखा है उसके लिए पैसा नहीं है । जोधपुर और बीकानेर के लिये परमानेंट मेजर सूखे के संबंध में हैं ।

डा० अबरार अहमद : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये 5621 लाख, मल निकास जल प्रदाय के लिये 15075 लाख, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये 450 लाख, पर्यटन के लिये 600 लाख, महिला विकास के लिये 195, पोषाहार के लिये 45 लाख । तो इस प्रकार से जितनी भी आवश्यक सेवायें हैं, जिनसे गरीबों को, मध्यम वर्गों के लिये, कृषि एवं सूखा की स्थिति के लिये खासतौर से इसमें धन का प्रावधान रखा गया है ताकि लोगों को राहत मिले । ये चारों विनियोग विधेयक, जो यहां प्रस्तुत किये गये हैं, मैं आग्रह करूंगा कि पास किया जाय ।

श्री महेश्वर सिंह : चुनाव कब करवायेंगे, यह तो बता दीजिए । आपको नहीं मालूम तो गृह मंत्री महोदय कह दें ।

डा० अबरार अहमद : मैं नहीं समझ पाया कि इनको क्यों संदेह और शक हो रहा है कि चुनाव नहीं होंगे । . . .(व्यवधान). . . संविधान के अनुसार उपयुक्त समय पर चुनाव की तिथि के बारे में निर्णय लिया जायेगा और इसे संवैधानिक रूप से किया जायेगा । यह कोई गैर-संवैधानिक नहीं होगा ।

श्री शिव चरण सिंह : राजस्थान में हमारी सरकार ने माइनारिटीज कमीशन, उर्दू शोध संस्थान और अजमेर शरीफ दरगाह को दिया था । आपने कितना दिया है ?

श्री महेश्वर सिंह : हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादकों के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

उपसभापति : मंत्री जी, जो बात सदस्य अभी कह रहे हैं, उनको लिखकर जवाब दे दें और उनके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाय । उन लोगों का ख्याल रखियेगा और जो दो-चार सवाल बाद में उठायें, उनका भी ख्याल रखें ।

SHRI MD. SALIM: Madam I have and important poit The Advisory Cimmittees for the forurS tates have been formed by the Home Ministry All the Menmbers spoke about them

वह कमेटी की मिटिंग बुलायेंगे कि नहीं, यह तो बताना चाहिये ।

उपसभापति : यह बता दीजिए ।

डा० अबरार अहमद : महोदया, जो परामर्श-दात्री समितियां बनाई गई हैं, निश्चित रूप से उनको परामर्श देने के लिये बनाया गया है । किसी कारण से देरी हो गयी होगी । निश्चित रूप से इनकी मीटिंग होंगी ।

उपसभापति : निश्चित रूप से इलेक्शन हो जायेंगे तब कहां होंगी ? . . .(व्यवधान). . .

SHRI MD. SALIM (West Bengal): The Home Minister is here. Let him reply. This is a serious point.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : महोदया, नियमानुसार यह आप्रोप्रियेशन बिल लाने के पहले वहां की कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिये थी, राज्यों की . . .(व्यवधान). . . लेजिस्लेशन के लिये है लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है । इसमें क्या दिक्कत है ?

उपसभापति : आप्रोप्रियेशन बिल पर वहां विचार कर सकते थे । . . .(व्यवधान). . .

THE DEPUTYCHAIRMAN : Let the Home Minister speak.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Actually the Consultative Committees are meant only for any legislation during President's rule if it is brought by them. Then only the Consultative Committee will be taken into confidence before the BUI is drafted.

श्री शिव चरण सिंह : बजट के लिये नहीं बुलायेंगे तो कब बुलायेंगे ? बजट से बड़ी चीज कोई है नहीं ।

श्री महेश्वर सिंह : आपने नीतिगत निर्णय लेकर, जैसे रोड टैक्स है, चुंगी को समाप्त करने की बात है, ऐसे नीतिगत निर्णय लेते वक्त भी समिति को नहीं बुलाया ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall first put the motion regarding consideration of the Uttar Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1993 to vote.

The question is :

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1993-94, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTYCHAIRMAN : We shall now take up clause-by-clause consideration of the BUI.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

डा० अबरार अहमद : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को लौटाया जाये ।"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1993 to vote.

The question is: "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the financial year 1993-94, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTYCHAIRMAN : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० अबरार अहमद : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को लौटाया जाये ।"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : 1 shall now put the motion regarding consideration of the Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1993 to vote.

The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Rajasthan for the services of the financial year 1993-94, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTYCHAIRMAN : We shall now take up ciause-by-ciause consideration of the Bill.

Clause 2 and 3 and the Schedule were added to (he Bill

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

डा० अबरार अहमद : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को लौटाया जाये ।"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put the motion regarding consideration of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1993 to vote.

The question is :

> That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of the financial year 1993-94, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 and i and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Tim were added to the Bill.

डा॰ अबरार अहमद : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को लौटाया जाये ।"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now I have to make two announcements. One is Mr. P. M. Sayeed is here. He will make a statement on deaths caused due to the consumption of illicit liquor in Sikar district, Rajasthan.

We have also before us the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 1993 and the Statutory Resolution for continuance of President's rule for which the Home Minister is here.

As far as the statement is concerned. I will ask Mr. Sayeed to lay it on the Table of the House just now. We have to go for a meeting of the IPG. If the House agrees.

. . .(व्यवधान). . . मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ।

SHRI M. A, BABY: (Kerala): Madam, regarding the statement by the Minister, we do not have any disagreement. But whenever the" Government decides to make such a statement, it is in the fitness of things and it is the convention also to circulate that as additional business. I understand that this is not being done.

The DEPUTY CHAIRMAN : I will tell you the reason. The Minister wanted to make the statement at 5 JO *PM.* Since we were discussing four very important Appropriation Bills and we had to return them within the stipulated time, I told the Minister that we are not going to have the statement immediately and we will take it up after we pass these Bills. So it was my decision. Now the Minister is here; he can lay the statement which is a non-controversial one. Members were agitated over these deaths. It is very nice of the Minister to come here with a statement. I would request him to lay it on the Table of the House and if any Member wants to seek clarifications, we can have it on any day.

आप "ले" कर दीजिए ।

AN HON. MEMBER : Tomorrow.

THE DEPUTYCHAIRMAN : Tomorrow or whenever we feel like seeking clarifications. ...*(Interruptions)*.... I will be happy if the Govern-(ment takes care of those people.

STATEMENT BY MINISTER

Deaths Due to Consumption of Illicit Liquor in Sikar District of Rajasthan

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): Madam Deputy Chairman, I lay on the Table of the house a statement regarding deaths due to consumption of illicit liquor in Sikar District of Rajasthan.

THE DEPUTY CHAIRMAN : A copy of the statement both in English and Hindi should be circulated to all the Members.

Now we have got the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill 1993 as well as the Statutory Resolution. If the House so agrees, I can ask the Minister to move both. Then we will adjourn the House and proceed to the meeting. We can take them up straightway after the Calling Attention matter tomorrow. ....*(interruptions)*.... Chavan Sahib, one second. I have to make another announcement. We have to pass a Constitution Amendment Bill tomorrow. We would like to take it up tomorrow after it has been passed by the Lok Sabha today. Since it is a Constitution Amendment Bill, it has got a certain requirement of the Members to be present in the House. It was generally decided that there is no disagreement on the Constitution Amendment Bill regarding the Rent Act. Tomorrow I am having a meeting with the leaders of various political parties and groups about this Bill. If the Members so agree we can pass it without any discussion. We can take it up soon after the lunch hour or after the Calling Attention matter is over so that the requisite number of Members are present in the House. We will not discuss it.

SHRI M. A. BABY (Kerala): What about discussion?

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): There should be a brief discussion on it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, we will have a brief discussion. At least I want to